सत्यमेव जयते

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

मोहम्मद गौस का मकबरा, तानसेन का मकबरा; तथा प्लॉट संख्या 199 और 200 में सम्मिलित समस्त भूमि के साथ परिसर की दीवार से घिरे हुए प्लॉट संख्या 200 में स्थित दो मस्जिद, ग्वालियर, मध्य प्रदेश के लिए धरोहर उप-विधि

Heritage Bye-Laws for Tomb of Mohammed Ghaus, Tomb of Tansen; and two mosques situated in plot No. 200 together with all the land comprised in plot nos. 199 and 200 and enclosed by a compound wall, Gwalior, Madhya Pradesh

मोहम्मद गौस का मकबरा, तानसेन का मकबरा; तथा प्लॉट संख्या 199 और 200 में सम्मिलित समस्त भूमि के साथ परिसर की दीवार से घिरे हुए प्लॉट संख्या 200 में स्थित दो मस्जिद, ग्वालियर, मध्य प्रदेश के लिए धरोहर उप-विधि

Heritage Bye-Laws for Tomb of Mohammed Ghaus, Tomb of Tansen; and two mosques situated in plot No. 200 together with all the land comprised in plot nos. 199 and 200 and enclosed by a compound wall, Gwalior, Madhya Pradesh

विषय – सूची

अध्याय 1 प्रारंभिक		
1.1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1
1.2	परिभाषाएं	2-3
अध्याय 2 प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की पृष्ठभूमि		
2.1	अधिनियम की पृष्ठभूमि	4
2.2	धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध	4
2.3	आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां	4-5
अध्याय 3 संरक्षित संस्मारक - मोहम्मद गौस का मकबरा, तानसेन का मकबरा; तथा प्लॉट संख्या 199 और 200 में सम्मिलित समस्त भूमि के साथ परिसर की दीवार से घिरे हुए प्लॉट संख्या 200 में स्थित दो मस्जिद, ग्वालियर, मध्य प्रदेश का स्थान और अवस्थिति		
3.1	संस्मारक का स्थान और अवस्थिति	6-7
3.2	संस्मारक की संरक्षित सीमा	7
	3.2.1 एएसआई रिकॉर्ड के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना	7
3.3	संस्मारक का इतिहास	7-8
3.4	संस्मारक का विवरण (वास्तुशिल्प विशेषताएँ, तत्व, सामग्री, आदि)	8
3.5	वर्तमान स्थिति	8
	3.5.1 संस्मारक की स्थिति-स्थिति का आकलन	8
	3.5.2 प्रतिदिन आने वाले लोगों की संख्या और कभी-कभी एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या	8
अध्याय 4 स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में मौजूदा ज़ोनिंग, यदि कोई हो		
4.1	मौजूदा ज़ोनिंग	9
4.2	स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशानिर्देश	9
अध्याय 5 प्रथम अनुसूची एवं सर्वेक्षण योजना के अनुसार सूचना		
5.1	संस्मारक की सर्वेक्षण योजना	10
5.2	सर्वेक्षित आंकड़ो का विश्लेषण	10
	5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण	10

	5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण	10-12
	5.2.3 हरित/खुले स्थानों का विवरण	12-13
	5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र - सड़कें, फुटपाथ आदि	13
	5.2.5 भवनों की मौजूदा ऊँचाई	13
	5.2.6 राज्य संरक्षित संस्मारक और सूचीबद्ध धरोहर भवन यदि उपलब्ध हों	13
	5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं	13
	5.2.8 संस्मारक तक पहुंच	14
	5.2.9 अवसरंचनात्मक सेवाएं	14
	5.2.10 स्थानीय निकायों के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्र का प्रस्तावित ज़ोनिंग	14
अध्याय 6 संस्मारक का वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व		
6.1	संस्मारक का वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व	15-16
6.2	संस्मारक की संवेदनशीलता	16
6.3	संरक्षित संस्मारक या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता	16
6.4	पहचान किया जाने वाला भूमि उपयोग	16
6.5	संरक्षित संस्मारक के अलावा अन्य पुरातात्विक धरोहर	16
6.6	सांस्कृतिक परिदृश्य	17
6.7	महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य	17
6.8	खुली जगह और निर्माण का उपयोग	17
6.9	पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ	17
6.10	संस्मारक और विनियमित क्षेत्रों से दिखाई देने वाला क्षितिज	18
6.11	पारंपरिक वास्तुकला	18
6.12	स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा यथा उपलब्ध विकास योजना	18
6.13	अनुमेय भवन संबंधी मापदंड	18
	6.13.1 मरम्मत और नवीनीकरण (प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में)	18
	6.13.2 पुनर्निर्माण	19
	6.13.3 नया निर्माण	19-20
6.14	आगंतुक सुविधाएं और प्रसाधन	21
अध्याय 7 स्थल विशिष्ट सिफारिशें		
7.1	स्थल विशिष्ट सिफ़ारिशें	22
7.2	अन्य सिफ़ारिशें	22

CONTENTS

CHAPTER 1 PRELIMINARY		
1.1	Short title, Extent and Commencements	23
1.2	Definitions	24-25
CHAPTER 2 Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958, as amended		
2.1	Background of the Act	26
2.2	Provision of the Act related to Heritage Bye-Laws	26
2.3	Rights and Responsibilities of the Applicant	26-27
CHAPTER 3 Location and Setting of Protected Monument - Tomb of Mohammed Ghaus, Tomb of Tansen; and two mosques situated in plot No. 200 together with all the land comprised in plot nos. 199 and 200 and enclosed by a compound wall, Gwalior, Madhya Pradesh		
3.1	Location and Setting of the Monument	28-29
3.2	Protected boundary of the Monument	29
	3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records	29
3.3	History of the Monument	29-30
3.4	Description of Monument (architectural features, elements, materials etc.)	30
3.5	Current Status	30
	3.5.1 Condition of the Monument - condition assessment	30
	3.5.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers	30
CHAPTER 4 Existing Zoning, if any, in the Local Area Development Plans		
4.1	Existing Zoning	31
4.2	Existing Guidelines of the local bodies	31
CHAPTER 5 Information as per First Schedule and Survey Plan		
5.1	Survey Plan of Monument	32
5.2	Analysis of surveyed data	32
	5.2.1 Prohibited Area and Regulated Area details	32
	5.2.2 Description of built-up area	32-34
	5.2.3 Description of green/open spaces	34-35
	5.2.4 Area covered under circulation- roads, footpaths etc.	35
	5.2.5 Existing Heights of buildings	35
	5.2.6 State protected monuments and listed heritage building	35

	5.2.7 Public amenities	35
	5.2.8 Access to the Monument	36
	5.2.9 Infrastructure services	36
	5.2.10 Proposed zoning of the area as per Local Bodies	36
CHAPTER 6 Architectural, Historical and Archaeological Value of the Monument		
6.1	Architectural, Historical and Archaeological Value	37
6.2	Sensitivity of the Monument	38
6.3	Visibility from the Protected Monument or area and visibility from Regulated Area	38
6.4	Land-use to be identified	38
6.5	Archaeological heritage remains other than Protected Monument	38
6.6	Cultural landscapes	39
6.7	Significant natural landscapes	39
6.8	Usage of open space and constructions	39
6.9	Traditional, historical and cultural activities	39
6.10	Skyline as visible from the monument and from Regulated Areas	39-40
6.11	Traditional architecture	40
6.12	Developmental plan, as available, by the local authorities	40
6.13	Permissible Building related parameters	40
	6.13.1 Repair and Renovation (in Prohibited and Regulated Area)	40
	6.13.2 Reconstruction	40-41
	6.13.3 New Construction	41-42
6.14	Visitor facilities and amenities	42
CHAPTER 7 Site Specific Recommendations		
7.1	Site Specific Recommendations	43
7.2	Other Recommendations	43

Annexure		
अनुलग्नक-I Annexure-I	मोहम्मद गौस का मकबरा, तानसेन का मकबरा; तथा प्लॉट संख्या 199 और 200 में सम्मिलित समस्त भूमि के साथ परिसर की दीवार से घिरे हुए प्लॉट संख्या 200 में स्थित दो मस्जिद, ग्वालियर, मध्य प्रदेश की सर्वेक्षण योजना Survey Plan of Tomb of Mohammed Ghaus, Tomb of Tansen; and two mosques situated in plot No. 200 together with all the land comprised in plot nos. 199 and 200 and enclosed by a compound wall, Gwalior, Madhya Pradesh	44
अनुलग्नक-II Annexure-II	संस्मारक की अधिसूचना Notification of the Monument	45-48
अनुलग्नक-III Annexure–III	ग्वालियर विकास योजना 2035 Gwalior Development Plan 2035	49-50
अनुलग्नक-IV Annexure-IV	संरक्षित संस्मारक और उसके आसपास के चित्र Images of the Monument and its surrounding areas	51-59

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधि विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम (22) के साथ पठित प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संरक्षित संस्मारक **"मोहम्मद गौस का मकबरा, तानसेन का मकबरा; तथा प्लॉट संख्या 199 और 200 में सम्मिलित समस्त भूमि के साथ परिसर की दीवार से घिरे हुए प्लॉट संख्या 200 में स्थित दो मस्जिद, ग्वालियर, मध्य प्रदेश"** के लिए निम्नलिखित धरोहर उप-विधि जिन्हें स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, भोपाल के परामर्श से सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, को राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्य प्रणाली), नियम, 2011 के नियम 18 के उप नियम 2 द्वारा यथा अपेक्षित जनता से आपत्ति या सुझाव आमंत्रित करने के लिए एतद्वारा 05.11.2021 को प्रकाशित किया गया था। यथा विनिर्दिष्ट दिनांक से पहले प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा विधिवत विचार किया गया है।

इसलिए, अब प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण, निम्नलिखित उप-विधि बनाता है, नामत:

"मोहम्मद गौस का मकबरा, तानसेन का मकबरा; तथा प्लॉट संख्या 199 और 200 में सम्मिलित समस्त भूमि के साथ परिसर की दीवार से घिरे हुए प्लॉट संख्या 200 में स्थित दो मस्जिद, ग्वालियर, मध्य प्रदेश" के लिए धरोहर उप-विधि

अध्याय 1
प्रारंभिक

1.1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:-

(i) इन उप-विधियों को संरक्षित संस्मारक **"मोहम्मद गौस का मकबरा, तानसेन का मकबरा; तथा प्लॉट संख्या 199 और 200 में सम्मिलित समस्त भूमि के साथ परिसर की दीवार से घिरे हुए प्लॉट संख्या 200 में स्थित दो मस्जिद, ग्वालियर, मध्य प्रदेश"** के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधि, 2025 कहा जाएगा।

(ii) ये संस्मारक के सम्पूर्ण प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र तक लागू होंगी।

(iii) इन उप-विधियों के प्रावधान किसी भी अन्य उप-विधि में निहित असंगतता के बावजूद प्रभावी होंगे, चाहे इन उप-विधियों के प्रारंभ होने से पहले या बाद में बनाए गए हों, या किसी उप-विधि के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी भी दस्तावेज़ में हों। इन उप-विधियों को किसी अन्य उप-विधि के अनुरूप बनाने के लिए इनमें संशोधन करना अनिवार्य नहीं होगा।

(iv) ये अधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगी।

1.2 परिभाषाएं:-

1. इन उप-विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दिए अनुसार परिभाषाएं सुविधा की दृष्टि से यहां पुन: लिखी गई हैं:-

(क) "प्राचीन संस्मारक" से कोई संरचना, रचना या संस्मारक, या कोई स्तूप या स्थान या दफ़नगाह या कोई गुफा, शैल-मूर्ति, शिला-लेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रुचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत हैं -

(i) किसी प्राचीन संस्मारक के अवशेष,

(ii) किसी प्राचीन संस्मारक का स्थल,

(iii) किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो ऐसे संस्मारक को बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(iv) किसी प्राचीन संस्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(ख) "पुरातत्वीय स्थल और अवशेष" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या अवशेष हैं या जिनके होने का युक्तियुक्त रूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, और इनके अंतर्गत हैं-

(i) उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो उसे बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(ii) उस क्षेत्र तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(ग) "अधिनियम" से आशय प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, है;

(घ) "पुरातत्व अधिकारी" से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद् से निम्नतर पद (श्रेणी) का नहीं है;

(ड.) ''प्राधिकरण'' से अधिनियम की धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(च) "सक्षम प्राधिकारी" से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या पुरातत्व आयुक्त की श्रेणी से नीचे न हो या समतुल्य श्रेणी का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो:

बशर्ते कि केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 20ग, 20घ और 20ङ के प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(छ) ''निर्माण'' से किसी संरचना या भवन का कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उसमें ऊर्ध्वाकार या क्षैतिजीय कोई परिवर्धन या विस्तारण भी है, किन्तु इसके अंतर्गत किसी विद्यमान संरचना या भवन का कोई पुन:निर्माण, मरम्मत और नवीकरण या नालियों और जलनिकास सुविधाओं तथा सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई या जनता के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए आशयित सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण या जनता के लिए विद्युत की आपूर्ति और वितरण के लिए निर्माण या अनुरक्षण, विस्तारण, प्रबंध या जनता के लिये इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए व्यवस्था शामिल नहीं हैं;

(ज) "सरकार" से आशय भारत सरकार से है;

(झ) अपने व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित "अनुरक्षण" के अंतर्गत हैं किसी संरक्षित संस्मारक को बाड़ से घेरना, उसे आच्छादित करना, उसकी मरम्मत करना, उसका पुनरूद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षण या उस तक सुविधाजनक पहुंच को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है;

(ञ) "स्वामी" के अंतर्गत हैं-

(i) संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्तियॉ निहित हैं और किसी ऐसे स्वामी के हक-उत्तराधिकारी, तथा

(ii) प्रबंध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद में उत्तराधिकारी;

(ट) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत है:

(ठ) "प्रतिषिद्ध क्षेत्र" से धारा 20क के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ड) "संरक्षित क्षेत्र" से कोई ऐसा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ढ) "संरक्षित संस्मारक" से कोई ऐसा प्राचीन संस्मारक अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ण) "विनियमित क्षेत्र" से धारा 20ख के अधीन विनिर्दिष्ट या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(त) "पुन: निर्माण" से किसी संरचना या भवन का उसकी पूर्व विद्यमान संरचना में ऐसा कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसकी क्षैतिजीय और ऊर्ध्वाकार सीमाएं समान हैं;

(थ) "मरम्मत और पुनरुद्धार" से किसी पूर्व विद्यमान संरचना या भवन के परिवर्तन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अंतर्गत निर्माण या पुन: निर्माण नहीं होंगे।

2. इसमें प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का आशय वही अर्थ होगा जैसा अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों में समनुदेशित किया गया है।

अध्याय 2

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम,1958, यथा संशोधित, की पृष्ठभूमि

2.1 अधिनियम की पृष्ठभूमि:

धरोहर उप-विधियों का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित संस्मारकों की सभी दिशाओं में 300 मीटर के अंदर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दखल के बारे में मार्गदर्शन देना है। 300 मीटर के क्षेत्र को दो भागों में बॉटा गया है (i) **प्रतिषिद्ध क्षेत्र,** यह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र अथवा संरक्षित संस्मारक की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में 100 मीटर की दूरी तक फैला है और (ii) **विनियमित क्षेत्र,** यह क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में 200 मीटर की दूरी तक फैला है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण अथवा खनन का कार्य नहीं कर सकता जबकि ऐसा कोई भवन अथवा संरचना जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र में 16 जून, 1992 से पूर्व मौजूद था अथवा जिसका निर्माण बाद में महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति से हुआ था, विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना का निर्माण, पुन:निर्माण, मरम्मत अथवा पुनरुद्धार की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से लेना अनिवार्य है।

2.2 धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध:

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधियों का विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम 22 में संरक्षित संस्मारकों के लिए उप-विधि बनाना विनिर्दिष्ट है। नियम में धरोहर उप-विधि बनाने के लिए मापदंडों का प्रावधान है। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें तथा कार्य निष्पादन) नियम, 2011, नियम 18 में प्राधिकरण द्वारा धरोहर उप-विधियों के अनुमोदन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है।

2.3 आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां:

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ग में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत और पुनरुद्धार अथवा विनियमित क्षेत्र में निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन का ब्यौरा विनिर्दिष्ट है:

(क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे भवन अथवा संरचना का स्वामी है जो 16 जून, 1992 से पहले प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूद था अथवा जिसका निर्माण इसके उपरांत महानिदेशक के अनुमोदन से हुआ था तथा जो ऐसे भवन अथवा संरचना का किसी प्रकार की मरम्मत अथवा नवीकरण का काम कराना चाहता है तो वह ऐसी मरम्मत और नवीकरण, जैसा भी स्थिति हो, को कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ख) कोई व्यक्ति जो किसी विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना अथवा भूमि का स्वामी है और वह ऐसी भूमि पर ऐसे भवन अथवा संरचना अथवा का कोई निर्माण अथवा पुन: निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण जैसी भी स्थिति हो, करना चाहता है तो वह निर्माण अथवा पुन: निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण जैसी भी स्थिति हो, के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ग) सभी संबंधित सूचना प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्य संचालन) नियम, 2011 के अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

अध्याय 3

संरक्षित संस्मारक – मोहम्मद गौस का मकबरा, तानसेन का मकबरा; तथा प्लॉट संख्या 199 और 200 में सम्मिलित समस्त भूमि के साथ परिसर की दीवार से घिरे हुए प्लॉट संख्या 200 में स्थित दो मस्जिद, ग्वालियर, मध्य प्रदेश का स्थान और अवस्थिति

3.1 संस्मारक का स्थान और अवस्थिति:

मोहम्मद गौस का मकबरा, तानसेन का मकबरा; तथा प्लॉट नंबर 199 और 200 में सम्मिलित समस्त भूमि के साथ परिसर की दीवार से घिरे हुए प्लॉट संख्या 200 में स्थित दो मस्जिद, ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में ग्वालियर किले के करीब स्थित है।

जीपीएस निर्देशांक हैं: **अक्षांश:** 26°13'54 "एन, **देशांतर:** 78°10'47" ई।

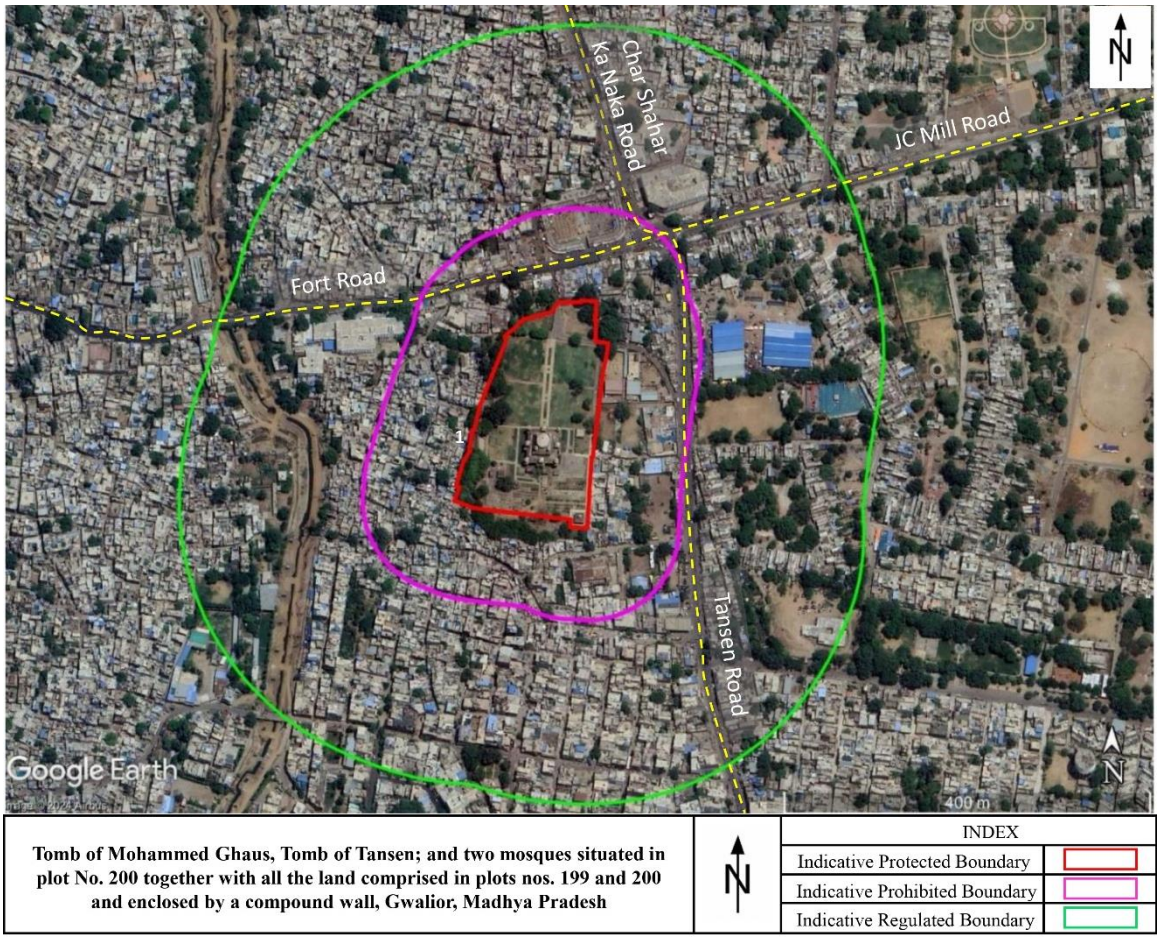

चित्र 1: मोहम्मद गौस का मकबरा, तानसेन का मकबरा; तथा प्लॉट संख्या 199 और 200 में सम्मिलित समस्त भूमि के साथ परिसर की दीवार से घिरे हुए प्लॉट संख्या 200 में स्थित दो मस्जिद, ग्वालियर, मध्य प्रदेश का स्थान दर्शाता उपग्रह चित्र

संरक्षित संस्मारक एक घने शहरी क्षेत्र के बीच में स्थित है और एक ऐतिहासिक परिसर बनाता है जिसमें मोहम्मद गौस का मकबरा, तानसेन का मकबरा और दो मस्जिदें हैं, साथ ही अन्य ऐतिहासिक संरचनाएँ जैसे छतरियाँ, दरगाह, कब्रें और मंडप हैं जो परिसर के दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी भागों में फैले हुए हैं। इस ऐतिहासिक परिसर में एक लैंडस्केप मुगल गार्डन, सममित डिज़ाइन तत्व, रास्ते और हरे-भरे स्थान हैं। संरक्षित संस्मारक के लिए पहुंच ग्वालियर किले द्वारा क्षितिज

पर बनाया गया है, जो इस संरक्षित संस्मारक को दृश्य और ऐतिहासिक रूप से क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक से जोड़ता है। आसपास के आधुनिक शहरी वातावरण के साथ संरक्षित संस्मारक का जुड़ाव तेजी से विकसित हो रहे शहर के भीतर सांस्कृतिक परंपराओं की निरंतरता को रेखांकित करता है। ग्वालियर के घने निर्मित वातावरण के भीतर होने के बावजूद संरक्षित संस्मारक आसपास के बगीचे के डिजाइन और परिसर के भीतर स्थानिक संगठन के कारण एक हद तक एकांत बनाए रखता है।

संरक्षित संस्मारक तक पूर्व में तानसेन रोड और उत्तर में फोर्ट रोड से पहुंचा जा सकता है, जो आगे चलकर पश्चिम में ग्वालियर किले तक जाता है। संरक्षित संस्मारक के आसपास के क्षेत्र में आवासीय विकास, छोटे पैमाने के वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, कुछ खुले स्थान और प्रमुख शहर की सड़कों के साथ-साथ छोटी और संकरी गलियों का एक नेटवर्क है। संरक्षित संस्मारक के पश्चिम में विनियमित क्षेत्र में स्वर्णरेखा नदी बहती है जो वर्तमान में शहरीकरण और औद्योगिक गतिविधियों के कारण क्षीण अवस्था में है।

संरक्षित संस्मारक की अवस्थिति आध्यात्मिकता और ऐतिहासिक प्रतिध्वनि की गहरी भावना से ओतप्रोत है। आगंतुक न केवल इसकी स्थापत्य सुंदरता के लिए बल्कि इसके आध्यात्मिक महत्व के लिए भी इस स्थल की ओर आकर्षित होते हैं, जो इसे क्षेत्र की विरासत का एक जीवंत हिस्सा बनाता है। संरक्षित संस्मारक रेल, सड़क और हवाई मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन संरक्षित संस्मारक से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। ग्वालियर में राजमाता विजयाराजे सिंधिया हवाई अड्डा संरक्षित संस्मारक से लगभग 10.7 किलोमीटर दूर है।

3.2 संस्मारक की संरक्षित सीमा:

संरक्षित संस्मारक – मोहम्मद गौस का मकबरा, तानसेन का मकबरा; तथा प्लॉट संख्या 199 और 200 में सम्मिलित समस्त भूमि के साथ परिसर की दीवार से घिरे हुए प्लॉट संख्या 200 में स्थित दो मस्जिद, ग्वालियर, मध्य प्रदेश की संरक्षित सीमा **अनुलग्नक-I** में देखी जा सकती है।

3.2.1 एएसआई रिकॉर्ड के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना:

मोहम्मद गौस का मकबरा, तानसेन का मकबरा; तथा प्लॉट संख्या 199 और 200 में सम्मिलित समस्त भूमि के साथ परिसर की दीवार से घिरे हुए प्लॉट संख्या 200 में स्थित दो मस्जिद, ग्वालियर, मध्य प्रदेश की राजपत्र अधिसूचना **अनुलग्नक-II** में देखी जा सकती है।

3.3 संस्मारक का इतिहास:

मोहम्मद गौस का मकबरा 16वीं शताब्दी के मध्य में मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान श्रद्धेय सूफी संत मोहम्मद गौस के सम्मान में बनाया गया था। गौस एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक व्यक्ति और सम्राट हुमायूँ के सलाहकार थे, और उनका प्रभाव उत्तरी भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में फैला हुआ था। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद उनके मकबरे का निर्माण शुरू किया गया था, जो उनकी सम्मानित स्थिति का प्रतीक है। यह मकबरा प्रारंभिक मुगल वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है।

तानसेन का मकबरा उनके आध्यात्मिक गुरु मोहम्मद गौस की कब्र के पास स्थित है जिसका निर्माण 16वीं शताब्दी के अंत में तानसेन की मृत्यु के तुरंत बाद किया गया था। सम्राट अकबर के दरबार में 'नवरत्नों' में से एक, तानसेन एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, जिनका भारतीय शास्त्रीय

संगीत में अद्वितीय योगदान है। हालाँकि उनका मकबरा मोहम्मद गौस की तुलना में बहुत मामूली है, लेकिन एक संगीतकार के रूप में उनकी विरासत और सूफी परंपरा से उनके गहरे आध्यात्मिक संबंध का सम्मान करने के लिए बनाया गया था। मकबरे की सादगी भारतीय संगीत के इतिहास में उनकी सम्मानित स्थिति के विपरीत तानसेन की विनम्र उत्पत्ति को दर्शाती है।

3.4 संस्मारक का विवरण (वास्तुशिल्प विशेषताएँ, तत्व, सामग्री, आदि):

मोहम्मद गौस का मकबरा प्रारंभिक मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह षट्कोणीय मीनार के साथ एक वर्ग के रूप में बनाया गया है और इसके कोनों पर छोटे गुंबद हैं। इमारत का मुख्य भाग विस्तृत और सूक्ष्म डिजाइन के नक्काशीदार पत्थर की जाली से सभी तरफ से घिरा हुआ है। पूरी इमारत एक बड़े गुंबद से सुसज्जित है, जिस पर कभी नीली चमकदार टाइलें लगी हुई थीं। तानसेन का मकबरा मोहम्मद गौस के मकबरे के बगल में स्थित है, जो कि महान संगीतकार तानसेन का एक अधिक बहुत लेकिन शायद अधिक प्रसिद्ध मकबरा है। यह एक आयताकार, ऊंचा मंच है, जिसके बीच में एक स्तंभयुक्त गैलरी है, जिसमें मकबरा स्थित है। पूरी संरचना एक नक्काशीदार गुंबद से सुसज्जित है।

संरक्षित संस्मारक में मस्जिद, छतरियाँ, दरगाह, कब्रें और मंडप जैसी अन्य ऐतिहासिक संरचनाएँ शामिल हैं जो ऐतिहासिक परिसर के दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी भागों में फैली हुई है।

3.5 वर्तमान स्थिति:

3.5.1 संस्मारक की स्थिति – स्थिति का आकलन:

संरक्षित संस्मारक और उसके संरक्षित क्षेत्र का रखरखाव और संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) का विशेष अधिकार क्षेत्र है। संरक्षित संस्मारक की वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाले चित्र **अनुलग्नक-IV** में संलग्न हैं।

3.5.2 प्रतिदिन आने वाले लोगों की संख्या और कभी-कभी एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या:

संरक्षित स्मारक को देखने आने वाले लोगों की औसत संख्या प्रतिदिन लगभग 150-160 है।

अध्याय 4

स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में मौजूदा ज़ोनिंग, यदि कोई हो

4.1 मौजूदा ज़ोनिंग:

ग्वालियर विकास योजना 2035 के अनुसार ग्वालियर निवेश क्षेत्र को 08 निवेश इकाइयों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक इकाई को आवासीय क्षेत्रों और सर्कलों में विभाजित किया गया है, जिसके माध्यम से सर्कल, उप-सर्कल स्तर के बाजार और अन्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। संरक्षित संस्मारक **योजना इकाई सीमा/इकाई-5** के अंतर्गत आता है।

ग्वालियर विकास योजना 2035 के अनुसार संरक्षित संस्मारक वार्ड 13 में आता है।

4.2 स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशानिर्देश:

निर्माण के लिए सामान्य दिशानिर्देश "मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (1973 का 23)" के तहत परिभाषित ग्वालियर विकास योजना 2035 और मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार हैं।

अध्याय 5

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अभिलेख (रिकार्ड) में परिभाषित सीमाओं के आधार पर प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों की प्रथम अनुसूची नियम 21 (1)/ सर्वेक्षण योजना के अनुसार सूचना

5.1 संरक्षित संस्मारक की सर्वेक्षण योजना:

मोहम्मद गौस का मकबरा, तानसेन का मकबरा; तथा प्लॉट संख्या 199 और 200 में सम्मिलित समस्त भूमि के साथ परिसर की दीवार से घिरे हुए प्लॉट संख्या 200 में स्थित दो मस्जिद, ग्वालियर, मध्य प्रदेश की सर्वेक्षण योजना **अनुलग्नक-I** में देखी जा सकती है।

5.2 सर्वेक्षित आंकड़ों का विश्लेषण:

5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण:

i. संरक्षित क्षेत्र लगभग 28,330 वर्ग मीटर है।

ii. प्रतिषिद्ध क्षेत्र लगभग 1,02,473 वर्ग मीटर है।

iii. विनियमित क्षेत्र लगभग 3,92,132 वर्ग मीटर है।

5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण:

i. **उत्तर:** प्रतिषिद्ध क्षेत्र में छोटे पैमाने के व्यावसायिक प्रतिष्ठान, मुख्य रूप से दुकानें, फोर्ट रोड के साथ स्थित हैं, जिसमें संरक्षित स्मारक तक पहुँचने के लिए मुख्य मार्ग भी शामिल है। प्रवेश द्वार के बगल में एक मंदिर है जिसे श्री सिद्ध बाबा मंदिर के नाम से जाना जाता है। फोर्ट रोड पर हजीरा चौक पर कम ऊँचाई वाली आज़ाद मार्केट में दुकानें और एक सब्जी बाज़ार है जो एक केंद्रीय खुली जगह के चारों ओर व्यवस्थित है। कुछ आवासीय भवन उत्तर-पश्चिम दिशा में स्थित हैं।

   संरक्षित संस्मारक के उत्तर और उत्तर-पूर्व में विनियमित क्षेत्र मुख्य रूप से कम ऊँचाई वाले आवासीय भवनों से बना है, विशेष रूप से गोसपुरा चरण संख्या 1 इलाके में। यह घनी आबादी वाला क्षेत्र अनियोजित विकास और कुछ पारंपरिक वास्तुकला के साथ ऊर्ध्वाधर विस्तार की प्रवृत्ति को दर्शाता है। उत्तर-पश्चिम में आवासीय कॉलोनियाँ चार शहर का नाका रोड और हजीरा चौक के पास तानसेन प्लाजा में वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के साथ सह-अस्तित्व में हैं। यहाँ निर्मित परिवेश अपेक्षाकृत कम घना है, जिसमें सीएम राइज गवर्नमेंट पटेल हायर सेकेंडरी स्कूल और बिरला नगर की आवासीय कॉलोनियों के भीतर खुली जगहें मौजूद हैं।

ii. **पूर्व:** पूर्व में निर्मित परिवेश की विशेषता अन्य दिशाओं की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम घनी है जिसमें काफी संख्या में खुले स्थान मौजूद हैं। तानसेन रोड के साथ प्रतिषिद्ध क्षेत्र में विकास मुख्य रूप से वाणिज्यिक है, जिसमें ज्यादातर दुकानें हैं साथ ही एक गेस्ट हाउस, एक विवाह भोज परिसर, एक मंदिर, एक नर्सिंग होम और कुछ आवासीय

भवन हैं। इस क्षेत्र में निर्मित परिवेश की समग्र विशेषता मुख्य रूप से कम ऊंचाई वाला वाणिज्यिक है, जिसमें इमारतों के बीच कुछ खुले स्थान हैं।

विनियमित क्षेत्र मुख्य रूप से वाणिज्यिक और आवासीय है, जिसमें सीमित सार्वजनिक इमारतें हैं। तानसेन रोड के साथ एक प्रमुख वाणिज्यिक क्षेत्र में दुकानें, एक सब्जी मंडी, एक अस्थायी चौपाटी भोजनालय, एक शौचालय ब्लॉक, एक सार्वजनिक कैंटीन (दीनदयाल रसोई योजना) और पार्किंग स्थल शामिल हैं। पास में इंटक पार्क के भीतर मजदूर कांग्रेस ग्वालियर भवन और एक केंद्रीय खुली जगह के आसपास व्यवस्थित एक आवासीय कॉलोनी है। संरक्षित संस्मारक के दक्षिण-पूर्व में, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय परिसर में खुली जगहें और आवासीय क्वार्टर शामिल हैं। तानसेन रोड के साथ वाणिज्यिक विकास में कम ऊंचाई वाली संरचनाएं, मुख्य रूप से दुकानें और श्री पाताली हनुमान जी मंदिर शामिल हैं।

iii. **दक्षिण:** प्रतिषिद्ध क्षेत्र में, संरक्षित संस्मारक वाले ऐतिहासिक परिसर की भौतिक सीमा से सटे कुछ ढाँचों के साथ आवासीय भवनों का घना निर्माण है। आगे दक्षिण में निर्माण में मुख्य रूप से कम ऊंचाई वाली आवासीय और व्यावसायिक संरचनाओं का मिश्रण है। दक्षिण-पूर्व में सिनेमा थियेटर है जिसे मन मंदिर टॉकीज के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में पुरानी, पारंपरिक इमारतों के साथ-साथ नए निर्माणों का मिश्रण है, जो चल रहे विकास को दर्शाता है। व्यावसायिक इमारतें आम तौर पर स्थानीय समुदाय की जरूरतों को पूरा करने वाली छोटी-छोटी दुकानें और व्यवसाय हैं, जबकि आवासीय क्षेत्रों की विशेषता संकरी गलियाँ और सीमित खुली जगहों वाले तंग घर हैं।

विनियमित क्षेत्र में, विकास अपेक्षाकृत योजनाबद्ध है, लेकिन मुख्य रूप से आवासीय इमारतों के साथ कुछ मंदिर, एक स्कूल और कुछ व्यावसायिक इमारतों के साथ मौजूद है। दक्षिण-पूर्व में एक अस्पताल और एक क्लिनिक मौजूद है। इस क्षेत्र में प्रमुख व्यावसायिक गतिविधि तानसेन रोड पर केंद्रित है, जहाँ छोटी दुकानें, भोजनालय और स्थानीय व्यवसाय सड़क के दृश्य पर हावी हैं।

iv. **पश्चिम:** प्रतिषिद्ध क्षेत्र में, निर्मित विशेषता में मुख्य रूप से कम ऊँचाई वाली आवासीय इमारतें हैं, जिनमें पारंपरिक आवास और आधुनिक निर्माण शामिल हैं, जो घनी पैक लेआउट में व्यवस्थित हैं। आवासीय गलियाँ संकरी हैं, जिनमें एक दूसरे से सटे घर हैं जिनमें अक्सर छोटे आंगन होते हैं। मुख्य सड़कों के साथ, स्थानीय दुकानों, भोजनालयों और सेवा प्रदाताओं जैसे विभिन्न छोटे व्यवसायों के साथ व्यावसायिक गतिविधि स्पष्ट है जो समुदाय की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

उत्तर-पश्चिम में विनियमित क्षेत्र में, फोर्ट रोड के साथ सरकारी सिविल अस्पताल, हजीरा मौजूद है। स्वर्णरेखा नदी वर्तमान में क्षेत्र में शहरीकरण और औद्योगिक गतिविधियों के कारण क्षीण अवस्था में बह रही है। नदी के किनारे एक एलिवेटेड रोड का निर्माण चल रहा है।

5.2.3 हरित/खुले स्थानों का विवरण:

संरक्षित संस्मारक के आसपास की हरियाली और खुली जगहें इसके परिवेश का अभिन्न अंग हैं, जो घने शहरी वातावरण से अलग हैं। संरक्षित संस्मारक के आसपास के क्षेत्र में सघन विकास की विशेषता है। पूर्वी भाग में निर्मित संरचनाओं के बीच में खुले स्थानों का अनुपात अधिक है। इसके विपरीत, उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी भाग अधिक सघन रूप से विकसित होने के कारण सीमित खुले क्षेत्र हैं। ये खुले स्थान संरक्षित संस्मारक से आने-जाने के लिए महत्वपूर्ण दृश्य रेखाएँ प्रदान करते हैं, जिससे आगंतुक अपने इच्छित संदर्भ में वास्तुशिल्प चमत्कार की सराहना करते हैं।

i. **उत्तर:** संरक्षित संस्मारक के मुख्य मार्ग के सामने फोर्ट रोड के साथ एक पार्किंग स्थल मौजूद है, और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में फोर्ट रोड के साथ स्थित आज़ाद मार्केट नामक कम ऊंचाई वाले वाणिज्यिक क्षेत्र में एक बड़ा खुला स्थान है। विनियमित क्षेत्र में, सीएम राइज सरकारी पटेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और बिरला नगर आवासीय कॉलोनियों में खुले स्थान मौजूद हैं।

ii. **पूर्व:** संरक्षित संस्मारक की पूर्वी सीमा से सटे प्रतिषिद्ध क्षेत्र में, पार्किंग स्थल के साथ-साथ विवाह स्थलों के परिसर में खुले क्षेत्र मौजूद हैं। विनियमित क्षेत्र के भीतर, पूर्व की ओर विस्तार करते हुए, तानसेन रोड के साथ एक व्यावसायिक स्थान स्थित है, जिसमें एक बड़ा खुला क्षेत्र है जो विविध गतिविधियों को समायोजित करता है, जिसमें एक सब्जी बाजार (सब्जी मंडी) और चौपाटी के रूप में जाना जाने वाला एक लोकप्रिय सड़क किनारे का भोजनालय शामिल है। इसके बगल में इंटक पार्क है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए उपयोग किया जाने वाला एक खुला मैदान है। इसके आसपास की आवासीय कॉलोनियों की विशेषता एक अनूठी स्थानिक व्यवस्था है, जिसमें बड़े केंद्रीय खुले क्षेत्रों के चारों ओर घर हैं।

iii. **दक्षिण:** प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में, घने विकास के बीच सीमित हरेभरे/खुले स्थान मौजूद हैं। हालांकि, जहां भी संभव हो, सड़क के किनारे पौधे लगाकर और छोटे पॉकेट पार्कों के माध्यम से हरित आवरण को बनाए रखा जाता है। प्रतिषिद्ध क्षेत्र में, दक्षिण-पूर्व में, कबीर पार्क मान मंदिर टॉकीज के सामने स्थित है जो क्षेत्र के हरित क्षेत्रों में योगदान देता है। विनियमित क्षेत्र में, संरक्षित संस्मारक के दक्षिण-पूर्व में, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय का परिसर काफी खुली जगह प्रदान करता है।

iv. **पश्चिम:** विनियमित क्षेत्र में सरकारी सिविल अस्पताल के परिसर में और स्वर्णरेखा नदी के किनारे खुले स्थान मौजूद हैं। जहाँ भी संभव हो, सड़क किनारे पौधे लगाकर और छोटे-छोटे पार्क बनाकर हरियाली बनाए रखी जाती है।

5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र - सड़कें, फुटपाथ आदि:

संरक्षित संस्मारक सड़कों और गलियों के नेटवर्क के माध्यम से शहर के बाकी हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जिससे आसान पहुंच सुनिश्चित होती है। प्राथमिक पहुंच एक संकरी गली के माध्यम से है जो संरक्षित संस्मारक के उत्तर में प्रमुख फोर्ट रोड से जुड़ी हुई है। यह सड़क पश्चिम में ग्वालियर किले के साथ-साथ शहर के मध्य भागों को सीधा संपर्क प्रदान करती है। संरक्षित संस्मारक पूर्व में तानसेन रोड के माध्यम से भी पहुँचा जा सकता है, जो इसे ग्वालियर रेलवे स्टेशन और शहर के अन्य प्रमुख क्षेत्रों से जोड़ता है। ये महत्वपूर्ण सड़कें उत्तर-पूर्व में हजीरा चौक पर मिलती हैं जो क्षेत्र का एक प्रमुख जंक्शन है। इसके अतिरिक्त, संरक्षित स्मारक रानी संस्मारक लक्ष्मीबाई मार्ग से जुड़ा हुआ है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) 44 जैसे प्रमुख राजमार्गों की ओर बिना रूके सुविधा प्रदान करता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों के साथ निर्बाध संपर्क सुनिश्चित होता है। संरक्षित संस्मारक के आसपास के परिचालन क्षेत्र, जिनमें स्थानीय सड़कें और पैदल मार्ग शामिल हैं, वाहनों और पैदल यात्रियों दोनों का यातायात संभालते हैं।

5.2.5 भवनों की मौजूदा ऊंचाई:

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के सामान्य निर्मित विशेषता में मुख्य रूप से निम्न से मध्यम ऊंचाई वाली संरचनाएं शामिल हैं। उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में घनी आबादी वाले क्षेत्रों में, अधिकांश इमारतें एक से तीन मंजिल ऊंची हैं। इनमें आमतौर पर आवासीय घर, छोटे वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और स्थानीय दुकानें शामिल हैं। उत्तर की ओर इमारतों की औसत ऊंचाई जी+1 से जी+2 तक है, हालांकि कुछ इमारतें ऐसी भी हैं जिनकी अधिकतम ऊंचाई लगभग 15 मीटर है। पूर्व की ओर इमारतों की औसत ऊंचाई भूमि स्तर से जी+2 तक है। दक्षिण की ओर इमारतों की सामान्य ऊंचाई जी+1 और जी+2 के बीच अलग-अलग है, कुछ अपवादों के साथ ऐसी इमारतें हैं जिनकी अधिकतम ऊंचाई लगभग 18 मीटर है। पश्चिम की ओर इमारतों की औसत ऊंचाई जी+1 से जी+2 तक है, हालांकि लगभग 18 मीटर ऊंची एक एलिवेटेड सड़क है।

5.2.6 प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र के भीतर स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा राज्य संरक्षित संस्मारक और सूचीबद्ध धरोहर भवन, यदि उपलब्ध हों:

राज्य संरक्षित संस्मारक या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा सूचीबद्ध विरासत भवन संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध या विनियमित क्षेत्र में नहीं बताया गया है।

5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं:

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में आवश्यक सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

5.2.8 संस्मारक तक पहुंच:

संरक्षित संस्मारक तक प्राथमिक पहुंच एक संकरी गली के माध्यम से सुगम है जो उत्तर में फोर्ट रोड से जुड़ती है जो संरक्षित संस्मारक को ग्वालियर किले और केंद्रीय शहर के क्षेत्रों से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है। पूर्व में संरक्षित संस्मारक तक एक द्वितीयक पहुंच है। यह पहुंच तानसेन रोड से जुड़ी एक संकरी गली के माध्यम से सुगम है। इसके अतिरिक्त, तानसेन रोड ग्वालियर रेलवे स्टेशन से पहुंच प्रदान करता है, जो आगंतुकों के लिए सुविधाजनक है। रानी लक्ष्मीबाई मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) 44 जैसे प्रमुख राजमार्गों को और अधिक कनेक्टिविटी प्रदान करता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों से आसान पहुंच मिलती है। संरक्षित संस्मारक के तत्काल आसपास के क्षेत्र में स्थानीय सड़कें और पैदल यात्री मार्ग हैं।

5.2.9 अवसंरचनात्मक सेवाएं (जल आपूर्ति, वर्षा जल निकासी, सीवेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि):

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में जल आपूर्ति, वर्षा जल निकासी, बिजली आपूर्ति, सीवेज प्रणाली और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसी आवश्यक बुनियादी ढांचा सेवाएँ उपलब्ध हैं। फोर्ट रोड के किनारे संरक्षित संस्मारक के सामने पार्किंग उपलब्ध है।

5.2.10 स्थानीय निकायों के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्र का प्रस्तावित ज़ोनिंग:

ग्वालियर विकास योजना 2035 के अनुसार ग्वालियर निवेश क्षेत्र को 08 निवेश इकाइयों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक इकाई को आवासीय क्षेत्रों और सर्कलों में विभाजित किया गया है, जिसके माध्यम से सर्कल, उप-सर्कल स्तर के बाजार और अन्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। संरक्षित संस्मारक **योजना इकाई सीमा/इकाई-5** के अंतर्गत आता है।

संरक्षित संस्मारक ग्वालियर विकास योजना 2035 के अनुसार वार्ड 13 में आता है।

अध्याय 6

संस्मारक की वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व

6.1 संस्मारक की वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व:

वास्तुकला महत्व:

ग्वालियर में संरक्षित संस्मारक मुगल स्थापत्य कला का एक अनुकरणीय प्रतिनिधित्व करता है, जो उस काल के समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के साथ-साथ धार्मिक और सांस्कृतिक मेलजोल को दर्शाता है। 16वीं शताब्दी के सूफी संत मोहम्मद गौस का मकबरा एक बड़ा मकबरा है जो अपनी चौकोर योजना, केंद्रीय गुंबद और जटिल बलुआ पत्थर की जाली (जालियों) के लिए जाना जाता है। ज्यामितीय और अरबी पैटर्न के साथ नक्काशीदार जालियों से प्रकाश अंदर आता है, जिससे एक शांत और आध्यात्मिक वातावरण बनता है, जो इसे प्रारंभिक मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व कराता है। उसी परिसर में स्थित तानसेन का मकबरा अधिक सादगीपूर्ण और विनम्र है, जो महान संगीतकार के विनम्र जीवन के अनुरूप है। इसका डिज़ाइन सादगी को दर्शाता है, जिसमें एक छोटी गुंबददार संरचना और न्यूनतम अलंकरण है, जो गौस के मकबरे की भव्यता के विपरीत है। इसी तरह, ऐतिहासिक परिसर के भीतर अन्य संरचनाएं इंडो-इस्लामिक स्थापत्य तत्वों को प्रदर्शित करती हैं जो मुगलों के शासनकाल के दौरान ग्वालियर के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ताने-बाने में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। साथ में, ये संरचनाएं न केवल मुगल युग की कलात्मक और स्थापत्य कला की नवीनता को दर्शाती हैं, बल्कि सांस्कृतिक अभिसरण के स्थायी प्रतीक के रूप में भी काम करती हैं।

ऐतिहासिक महत्व:

ग्वालियर में संरक्षित संस्मारक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल है, जो मुगल युग की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को दर्शाता है। मोहम्मद गौस का मकबरा, 16वीं शताब्दी के मध्य में निर्मित, प्रसिद्ध सूफी संत को सम्मानित करता है, जिन्होंने भारत में सूफीवाद के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका प्रभाव मुगल दरबार तक फैला हुआ था, जहां उन्होंने सम्राट हुमायूं के आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य किया। यह मकबरा तब से एक श्रद्धेय तीर्थ स्थल बन गया है, जो मुगल काल की पहचान थी। मोहम्मद गौस के मकबरे के बगल में तानसेन का मकबरा है, जो भारतीय इतिहास के सबसे महान संगीतकारों में से एक और सम्राट अकबर के दरबार में एक प्रमुख व्यक्ति थे। भारतीय शास्त्रीय संगीत में तानसेन के योगदान का भारतीय संस्कृति पर एक स्थायी प्रभाव पड़ा है और अकबर के 'नवरत्नों' में उनका शामिल होना उनके महत्व को रेखांकित करता है। उनके आध्यात्मिक गुरु मोहम्मद गौस के मकबरे के पास उनकी कब्र का स्थान मुगल भारत में संगीत और आध्यात्मिकता के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। इस ऐतिहासिक परिसर के भीतर की संरचनाएँ, मुगल काल की विशेषता वाली धार्मिक, सांस्कृतिक और कलात्मक परंपराओं के संगम का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो भारत की समृद्ध विरासत के स्थायी प्रतीक के रूप में कार्य करती हैं।

पुरातात्विक महत्व:

ऐतिहासिक परिसर के भीतर कब्रों होने के कारण संरक्षित संस्मारक का महत्वपूर्ण पुरातात्विक महत्व है, जो 16वीं शताब्दी की दफन प्रथाओं और सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

6.2 संस्मारक की संवेदनशीलता (विकासात्मक दबाव, शहरीकरण, जनसंख्या दबाव, आदि):

संरक्षित संस्मारक शहर के केंद्र में स्थित है, जिसमें एक घना निर्मित परिवेश है। फोर्ट रोड और तानसेन रोड के साथ तेजी से शहरी विस्तार ने निर्माण गतिविधि और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ा दिया है, जिसने संरक्षित संस्मारक पर काफी दबाव डाला है। शहरीकरण के परिणामस्वरूप संरक्षित संस्मारक के आसपास के परिदृश्य में परिवर्तन हुए हैं, आधुनिक इमारतों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों ने शांत वातावरण पर अतिक्रमण किया है, विशेष रूप से फोर्ट रोड और तानसेन रोड जैसी मुख्य सड़कों पर। इस विकास ने संरक्षित संस्मारक के ऐतिहासिक संदर्भ को बदल दिया है, जिससे इसकी दृश्य और स्थानिक प्रमुखता कम हो गई है। उच्च घनत्व वाले आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों की निकटता ने पैदल यात्रियों और वाहनों की भीड़ को भी बढ़ा दिया है, जिससे संरक्षित संस्मारक की पहुंच और शांति प्रभावित हुई है।

संरक्षित संस्मारक तक पहुंचने वाली सड़क के किनारे अस्थायी ढांचों जैसे कि फेरीवालों, अस्थायी सडक साइट काउंटरों, वेंडिंग कियोस्क आदि की मौजूदगी विरासत के माहौल को और दृश्यता को बाधित करती है।

6.3 संरक्षित संस्मारक या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता:

संरक्षित संस्मारक उत्तर की ओर घने शहरी विकास के दृश्य प्रदान करता है, जिसका दृश्य फोर्ट रोड की ओर फैला हुआ है। पूर्व की ओर, आस-पास की इमारतें दिखाई देती हैं, जो कम ऊंचाई वाली संरचनाएं हैं। दक्षिण की ओर से घने आवासीय निर्माण के दृश्य दिखाई देते हैं। पश्चिम की ओर भी घने आवासीय परिवेश के समान दृश्यता है। संरक्षित संस्मारक के आसपास का क्षेत्र एक विविध क्षितिज की विशेषता है, जो ग्वालियर के ऐतिहासिक और आधुनिक विकास को दर्शाता है। संरक्षित संस्मारक केवल आसपास के क्षेत्र से और आसन्न सड़कों के कुछ बिंदुओं से दिखाई देता है - उत्तर में फोर्ट रोड और पूर्व में तानसेन रोड। विशेष रूप से उत्तर, दक्षिण और पश्चिम दिशाओं में मौजूद घने निर्माण के कारण संरक्षित संस्मारक से दूर जाने पर दृश्यता खो बंद हो जाती है।

6.4 पहचान किया जाने वाला भूमि उपयोग:

ग्वालियर विकास योजना 2035 के अनुसार, संरक्षित संस्मारक भूमि उपयोग - सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक के अंतर्गत आता है। प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में प्रस्तावित भूमि उपयोग आवासीय, वाणिज्यिक और मनोरंजन (पार्क) हैं।

6.5 संरक्षित संस्मारक के अलावा अन्य पुरातात्विक धरोहर:

आज तक प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्र में कोई ज्ञात या रिपोर्ट की गई पुरातात्विक विरासत के अवशेष नहीं हैं।

6.6 सांस्कृतिक परिदृश्य:

संरक्षित संस्मारक के सांस्कृतिक परिदृश्य को इसके उद्देश्य से परिभाषित किया गया था, जो एक मकबरा उद्यान है। अपने शुरुआती संदर्भ में, यह शेख मोहम्मद गौस और तानसेन की स्मृति के लिए समर्पित एक शांत और गंभीर स्थान था, संभवतः चिंतन और श्रद्धा का स्थान। इस सांस्कृतिक परिदृश्य में हरे-भरे बगीचे, श्राइन मकबरे और अच्छी तरह से जुड़े हुए रास्ते थे, जो आध्यात्मिक चिंतन को सुविधाजनक बनाते थे। संरक्षित संस्मारक के आस-पास के वातावरण को इसकी पवित्रता को बढ़ाने और बाहरी दुनिया की हलचल से एक शांतिपूर्ण वातावरण उपलब्ध प्रदान करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था। सदियों से, सांस्कृतिक परिदृश्य में बदलाव आया है। एक बार शांत मकबरा उद्यान अब आवासीय और वाणिज्यिक संरचनाओं से भरी घनी आबादी वाले क्षेत्र में बसा हुआ है। आसपास का वातावरण शांत अलगाव से एक जीवंत, गतिशील शहरी ताने-बाने में बदल गया है। शहरीकरण और विकास ने क्षेत्र को नया आकार दिया है, अक्सर मूल परिदृश्य पर अतिक्रमण हो गया और परिवर्तन हो गया है। संरक्षित संस्मारक ने खुद को अपने नए संदर्भ के अनुकूल बनाया है, जो एक मील का पत्थर और पर्यटकों के लिए आकर्षण बन गया है।

6.7 महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य जो सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा बनते हैं और संस्मारक को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने में भी मदद करते हैं:

संरक्षित संस्मारक के आसपास कोई महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य नहीं हैं।

6.8 खुली जगह और निर्माण का उपयोग:

संरक्षित संस्मारक के आसपास के खुले स्थान घने शहरी वातावरण में कई उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। पूर्व की ओर, विवाह स्थलों और पार्किंग स्थलों के भीतर खुले क्षेत्र स्थानीय गतिविधियों के लिए कार्यात्मक समर्थन प्रदान करते हैं। दक्षिण-पूर्व में कबीर पार्क सार्वजनिक मनोरंजन स्थल प्रदान करता है। पूर्व की ओर विनियमित क्षेत्र में, तानसेन रोड के साथ एक बड़ा खुला क्षेत्र विविध व्यावसायिक गतिविधियों की मेजबानी करता है, जिसमें एक सब्जी बाज़ार और लोकप्रिय भोजनालय शामिल हैं। इंटक पार्क सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक स्थल के रूप में कार्य करता है। आवासीय कॉलोनियों में सामुदायिक उपयोग के लिए केंद्रीय खुले क्षेत्र हैं। कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय परिसर पर्याप्त खुली जगह प्रदान करता है। घने विकास के कारण उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में सीमित खुले क्षेत्रों के बावजूद, सड़क पर पौधे लगाने और छोटे पार्कों के माध्यम से हरियाली है। उत्तर में आज़ाद मार्केट में एक पार्किंग क्षेत्र और खुला स्थान व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाता है।

6.9 पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ:

महान संगीतकार तानसेन की समाधि होने के कारण संरक्षित संस्मारक का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। संरक्षित संस्मारक के पास हर साल दिसंबर के महीने में तानसेन संगीत समारोह (त्योहार) मनाया जाता है। दुनिया भर के कलाकार और संगीत प्रेमी महान भारतीय संगीत उस्ताद-तानसेन को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा होते हैं।

6.10 संस्मारक और विनियमित क्षेत्रों से दिखाई देने वाला क्षितिज:

संरक्षित संस्मारक के आस-पास के क्षेत्र में विविधतापूर्ण क्षितिज है, जो ग्वालियर के ऐतिहासिक और आधुनिक विकास को दर्शाता है। पूर्व की ओर कम ऊंचाई वाले विकास का क्षितिज दिखाई देता है, जिसमें खुले क्षेत्र शामिल हैं। प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र की पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी दिशा से क्षितिज में खुली जगहों के बीच इमारतें दिखाई देती हैं, जिनमें कुछ सुविधाजनक बिंदुओं से पृष्ठभूमि में मकबरे का गुंबद दिखाई देता है। उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी दिशा से क्षितिज में घनी इमारतें दिखाई देती हैं, जिनमें पृष्ठभूमि में संरक्षित संस्मारक की कोई स्पष्ट दृश्यता नहीं है। संरक्षित संस्मारक केवल पूर्व में निकटवर्ती क्षेत्रों से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

6.11 पारंपरिक वास्तुकला:

संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में, कई आवासीय आवास क्षेत्र की पारंपरिक वास्तुकला शैली में निर्मित हैं। उपयोग किए गए वास्तुशिल्प तत्व राजपूत, मुगल और मराठा प्रभावों का मिश्रण दिखाते हैं। ये शैलियाँ सदियों से विकसित हुई हैं और विभिन्न राजवंशों और शासकों के साथ शहर के ऐतिहासिक संबंधों को दर्शाती हैं।

6.12 स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध विकास योजना:

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा तैयार ग्वालियर विकास योजना 2035 को देखा जा सकता है।

6.13 अनुमेय भवन संबंधी मापदंड:

6.13.1 मरम्मत और नवीनीकरण (प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में):

आंतरिक परिवर्तन और अनुकूली पुनः उपयोग की सामान्य रूप से अनुमति दी जा सकती है। हालाँकि, बाहरी परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी द्वारा विस्तृत जाँच के अधीन होंगे। ऐसे परिवर्तन जिनमें रेट्रोफिटिंग/नवीनीकरण शामिल है, की अनुमति तब दी जा सकती है जब इमारत संरचनात्मक रूप से कमज़ोर या असुरक्षित हो या जब उस पर किसी प्राकृतिक आपदा का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो और नवीनीकरण अत्यंत आवश्यक हो। मूल इमारत शब्दावली और लेआउट के साथ-साथ निर्मित-खुले संबंधों का पालन किया जाना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति के अधीन इमारतों की सामान्य मरम्मत और रखरखाव की अनुमति होगी।

भवन/संरचनाओं में मरम्मत और नवीनीकरण संरक्षित संस्मारक और उसके आस-पास के क्षेत्रों की धरोहर विशेषताओं के अनुरूप और उससे मेल खाता होना चाहिए। एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लैमिनेट्स (एचपीएल), लैमिनेट्स, टाइलिंग या ग्लेज़िंग जैसी नई क्लैडिंग सामग्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। मरम्मत और नवीनीकरण कार्यों को करने में स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

6.13.2 पुनर्निर्माण:

पुनर्निर्माण को एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 2(त) में परिभाषित किया गया है तथा विनियमित क्षेत्र में पुनर्निर्माण की अनुमति एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ग(2) और एएमएएसआर (विरासत उपनियमों का निर्धारण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम 6(IV) और नियम 7 के अनुसार दी जाती है। किसी संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र के प्रतिषिद्ध या विनियमित क्षेत्र में स्थित किसी भी प्रकार के भवन या सरंचना, जो प्राकृतिक आपदाओं से ध्वस्त या क्षतिग्रस्त हो गयी है, और जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है, के मामले में पुनर्निर्माण की एएमएएसआर (विरासत उपनियमों का निर्धारण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम 16 के अनुसार दी जाती है। प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त भवन अथवा संरचना के पुनर्निर्माण की अनुमति उसी सीमा तक दी जाएगी जितनी कि क्षति हुई है। पुनर्निर्माण के मामले में पुरानी इमारत के प्रतिस्थापन के रूप में नई संरचना या इमारत को पहले से मौजूद संरचना के अनुसार उसी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सीमाओं का पालन करना होगा। अग्रभाग में असंगत सामग्री जैसे ग्लेज़िंग, मेटल क्लैडिंग, एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लैमिनेट्स (एचपीएल), टाइल्स, लैमिनेट्स के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। नई संरचना संरक्षित संसंस्मारक के धरोहर क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र के साथ मेल खाती और उसके अनुरूप होनी चाहिए।

6.13.3 नया निर्माण:

6.13.3 क प्रतिषिद्ध क्षेत्र:

एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20क(4) के अनुसार, संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर किसी भी सार्वजनिक कार्य या जनता के लिए आवश्यक परियोजना या अन्य निर्माण सहित किसी भी नए निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.13.3 ख विनियमित क्षेत्र:

ग्वालियर विकास योजना 2035 और मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984, संशोधित 2012 में निर्दिष्ट सभी विकास नियंत्रण मानदंड और भवन विनियम, मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के तहत परिभाषित, जब भी संशोधित किए जाएंगे, लागू होंगे, हालांकि, इस दस्तावेज में निर्दिष्ट ऊंचाई और अन्य पैरामीटर संरक्षित संस्मारक के विनियमित क्षेत्र में लागू होंगे।

1. **स्थल पर नए निर्माण की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचना आदि या छत पर कोई अन्य सेवाएं सहित):**

विनियमित क्षेत्र के सभी जोनों में नए निर्माण या मौजूदा इमारतों में परिवर्धन/परिवर्तन के लिए अधिकतम ऊंचाई सीमा **12.5 मीटर** से अधिक नहीं होगी (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचना आदि या छत पर कोई अन्य सेवाएं सहित)।

बेसमेंट के निर्माण को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

2. उपयोग:

i. उपयोग ग्वालियर विकास योजना 2035 के अनुसार होना चाहिए।

3. अग्रभाग डिजाइन:

i. किसी भी नए निर्माण का अग्रभाग डिजाइन न्यूनतम प्रकृति का होना चाहिए, ताकि यह संरक्षित संस्मारक और आसपास के क्षेत्र की समग्र विशेषता पर हावी न हो। अग्रभाग डिजाइन सूक्ष्म होना चाहिए और मिट्टी के रंगों में प्लास्टर और पेंट किया जाना चाहिए।

ii. बाहरी अग्रभाग पर बाहरी परिसज्जा के लिए एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लेमिनेट्स (एचपीएल) और किसी भी अन्य सिंथेटिक सामग्री जैसी अंतर्वेधी सामग्रियों के उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

4. छत का डिज़ाइन:

i. समतल छत डिजाइन का पालन किया जा सकता है।

ii. इमारत की छत पर एल्युमिनियम, फाइबर ग्लास, पॉलीकार्बोनेट या इसी तरह की सामग्री का उपयोग करके अस्थायी प्रकृति की संरचनाओं का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। पानी की टंकियों को ईंट की दीवारों का उपयोग करके ढका दिया जाना चाहिए।

5. निर्माण सामग्री:

i. संरक्षित संस्मारक के सभी सड़क के अग्रभागों पर निर्माण सामग्री और रंग में एकरूपता बनाए रखी जानी चाहिए। बाहरी सजावट के लिए आधुनिक निर्माण सामग्री जैसे एल्युमिनियम क्लैडिंग, ग्लास ईंटें और किसी भी अन्य सिंथेटिक टाइल या सामग्री का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

ii. ईंट, पत्थर और सीमेंट जैसी निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा सकता है जो संरक्षित संस्मारक और उसके आस-पास के क्षेत्र की विरासत विशेषता के लिए गैर-हस्तक्षेपकारी हो।

6. रंग:

बाहरी रंग संरक्षित संस्मारक के साथ सामंजस्य रखते हुए तटस्थ स्वर का होना चाहिए, जैसे कि बफ बलुआ पत्थर का रंग, सफेद, बेज और अन्य मिट्टी के रंग, जो संरक्षित संस्मारक और उसके आसपास के वातावरण के साथ तीव्र विरोधाभास पैदा न करें।

7. अन्य विनियम:

मेट्रो रेल सिस्टम (भूमिगत या एलिवेटेड), रेल या सड़क ओवर ब्रिज, फ्लाई ओवर, बहु-स्तरीय पार्किंग सुविधाएं या इसी तरह की विकास परियोजनाओं और सार्वजनिक हित में संस्थागत भवनों के निर्माण या जो जनता के लिए आवश्यक हैं, जैसे बड़े पैमाने पर सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के निर्माण के प्रस्ताव एक विस्तृत विरासत प्रभाव आकलन (एचआईए) रिपोर्ट के अधीन होंगे। ऐसी परियोजनाओं पर तभी विचार किया जा सकता है जब यह स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाए कि वे संरक्षित संस्मारक या उसके आस-पास के क्षेत्र के संरक्षण, सुरक्षा, संरक्षा, दृश्य अखंडता या पहुंच पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

6.14 आगंतुक सुविधाएं और प्रसाधन:

यथा-सम्भव, आगंतुक सुविधाएं और प्रसाधन उपलब्ध कराने पर विचार किया जा सकता है।

अध्याय 7
स्थल विशिष्ट सिफारिशें

7.1 स्थल विशिष्ट सिफ़ारिशें:

i. सड़क के किनारे सभी अस्थायी ढाँचे जैसे ढाबे/सड़क किनारे वेंडिंग कियोस्क आदि को संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों से दूर स्थानांतरित किया जा सकता है।

ii. संरक्षित संस्मारक के आसपास की प्रमुख मुख्य सड़कों को यदि चौड़ा किया जाता है, तो जहाँ तक संभव हो संरक्षित संस्मारक की संरक्षित सीमा से दूर की दिशा में होना चाहिए।

iii. साइनेज की स्थापना से ऐतिहासिक संरचना को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, न ही संरक्षित संस्मारक की ऐतिहासिक विशेषता को कम करना चाहिए।

iv. संरक्षित संस्मारक या उसके आस-पास के क्षेत्रों में साइनेज के लिए एलईडी या डिजिटल साइन, प्लास्टिक फाइबर ग्लास या किसी अन्य अत्यधिक परावर्तक सिंथेटिक सामग्री का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

v. संरक्षित संस्मारक के पास, विशेष रूप से संरक्षित संस्मारक की दीवारों पर होर्डिंग, बिल-बोर्ड और पोस्टर के रूप में कोई विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

vi. संरक्षित संस्मारक के आसपास के क्षेत्र में आवागमन के लिए पर्यावरण अनुकूल वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है, ताकि वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन और कंपन के कारण संरक्षित संस्मारक पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सके।

vii. वर्षा जल संचयन आदि जैसे सर्वोत्तम तरीकों सहित हरित भवनों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

7.2 अन्य सिफारिशें:

i. जब भी मास्टर प्लान, जोनल प्लान या विकास योजना तैयार की जाए या उसमें संशोधन किया जाए, तो उसमें राष्ट्रीय महत्व के सभी संरक्षित संस्मारकों और उनके प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

ii. संरक्षित संस्मारक की निर्बाध दृश्यता सुनिश्चित करने के लिए फेरीवालों और विक्रेताओं को संरक्षित संस्मारक की सीमा पर कब्जा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।

iii. क्षेत्र को प्लास्टिक और पॉलीथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए।

iv. सांस्कृतिक विरासत स्थलों और परिसरों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देश https://nidm.gov.in/PDF/pubs/NDMA/20.pdf पर देखे जा सकते हैं।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

In exercise of the powers conferred by section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended, read with Rule 22 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and Other Functions of the Competent Authority) Rule, 2011, the following Heritage Bye-Laws for the Protected Monument **"Tomb of Mohammed Ghaus, Tomb of Tansen; and two mosques situated in plot No. 200 together with all the land comprised in plot nos. 199 and 200 and enclosed by a compound wall, Gwalior, Madhya Pradesh"** prepared by the Competent Authority, in consultation with the School of Planning and Architecture, Bhopal, were published on 05.11.2021, as required by sub-rule 2 of Rule 18 of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, for inviting objections or suggestions from the public;

The objections/suggestions, received before the specified date have duly been considered by the National Monuments Authority in consultation with the Competent Authority.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of the Section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended, the National Monuments Authority, hereby makes the following bye-laws, namely:

Heritage Bye-Laws for "Tomb of Mohammed Ghaus, Tomb of Tansen; and two mosques situated in plot No. 200 together with all the land comprised in plot nos. 199 and 200 and enclosed by a compound wall, Gwalior, Madhya Pradesh"

CHAPTER 1

PRELIMINARY

1.1 Short title, Extent and Commencements:

(i) These bye-laws may be called the National Monuments Authority Heritage bye-laws 2025 of the Protected Monument – **"Tomb of Mohammed Ghaus, Tomb of Tansen; and two mosques situated in plot No. 200 together with all the land comprised in plot nos. 199 and 200 and enclosed by a compound wall, Gwalior, Madhya Pradesh"**.

(ii) They shall extend to the entire Prohibited and Regulated Area of the Protected Monuments.

(iii) The provisions of these bye-laws shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other bye-laws, whether made before or after the commencement of these bye-laws, or in any instrument having effect by virtue of any bye-laws. It shall not be obligatory to carry out amendments in these bye-laws to make them consistent with any other bye-laws.

(iv) They shall come into force with effect from the date of their publication.

1.2 Definitions:-

1. In these bye-laws, unless the context otherwise requires, -

(a) "ancient monument" means any structure, erection or monument, or any tumulus or place of interment, or any cave, rock sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes -

(i) the remains of an ancient monument,

(ii) the site of an ancient monument,

(iii) such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument, and

(iv) the means of access to, and convenient inspection of an ancient monument,

(b) "archaeological site and remains" means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years, and includes:

(i) such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it, and

(ii) the means of access to, and convenient inspection of the area,

(c) "Act" means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended,

(d) "Archaeological Officer" means an officer of the Department of Archaeology of the Government of India not lower in rank than Assistant Superintendent of Archaeology,

(e) "Authority" means the National Monuments Authority constituted under Section 20F of the Act,

(f) "Competent Authority" means an officer not below the rank of Director of archaeology or Commissioner of archaeology of the Central or State Government or equivalent rank, specified, by notification in the Official Gazette, as the competent authority by the Central Government to perform functions under this Act:

Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify different competent authorities for the purpose of section 20C, 20D and 20E,

(g) "construction" means any erection of a structure or a building, including any addition or extension thereto either vertically or horizontally, but does not include any re-construction, repair and renovation of an existing structure or building, or, construction, maintenance and cleansing of drains and drainage works and of public latrines, urinals and similar conveniences, or, the construction and maintenance of works meant for providing supply or water for public, or, the construction or maintenance, extension, management for supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities for public,

(h) “Government” means The Government of India,

(i) “maintain”, with its grammatical variations and cognate expressions, includes the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of a Protected Monument, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a Protected Monument or of securing convenient access thereto,

(j) “owner” includes:

(i) A joint owner invested with powers of management on behalf of himself and other joint owners and the successor-in-title of any such owner, and

(ii) Any manager or trustee exercising powers of management and the successor-in-office of any such manager or trustee,

(k) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;

(l) “Prohibited Area” means any area specified or declared to be a Prohibited Area under section 20A,

(m) “Protected Area” means any archaeological site and remains which is declared to be of national importance by or under this Act,

(n) “Protected Monument” means any ancient monument which is declared to be of national importance by or under this Act,

(o) “Regulated Area” means any area specified or declared to be a Regulated Area under section 20B,

(p) “re-construction” means any erection of a structure or building to its pre-existing structure, having the same horizontal and vertical limits,

(q) “repair and renovation” means alterations to a pre-existing structure or building, but shall not include construction or re-construction,

2. The words and expressions used herein and not defined shall have the same meaning as assigned in the Act or the rules made there under.

CHAPTER 2

Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958, as amended

2.1 Background of the Act:

The Heritage Bye-Laws are intended to guide physical, social and economic interventions within 300 metres in all directions of the Protected Monument. The 300 metres area has been divided into two parts (i) the **Prohibited Area,** the area beginning at the limit of the Protected Area or the Protected Monument and extending to a distance of 100 metres in all directions and (ii) the **Regulated Area**, the area beginning at the limit of the Prohibited Area and extending to a distance of 200 metres in all directions.

As per the provisions of the Act, no person shall undertake any construction or mining operation in the Protected Area and Prohibited Area while permission for repair and renovation of any building or structure, which existed in the Prohibited Area before 16th day of June, 1992, or which had been subsequently constructed with the approval of Director General (DG), Archaeological Survey of India (ASI) and; permission for construction, re-construction, repair or renovation of any building or structure in the Regulated Area, must be sought from the Competent Authority.

2.2 Provision of the Act related to Heritage Bye-Laws:

Section 20E of the AMASR Act, 1958, as amended and Rule 22 of the Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other function of the Competent Authority) Rules 2011, specifies framing of Heritage Bye-Laws for Protected Monuments. Ibid Rule provides parameters for the preparation of Heritage Bye-Laws. Rule 18 of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, specifies the process of approval of Heritage Bye-laws by the Authority.

2.3 Rights and Responsibilities of Applicant:

Section 20C of the AMASR Act, 1958, as amended, specifies details of application for repair and renovation in the Prohibited Area, or construction or re- construction or repair or renovation in the Regulated Area as described below:

(a) Any person, who owns any building or structure, which existed in a Prohibited Area before 16th day of June, 1992, or, which had been subsequently constructed with the approval of the Director General and desires to carry out any repair or renovation of such building or structure, may make an application to the Competent Authority for carrying out such repair and renovation as the case maybe.

(b) Any person, who owns or possesses any building or structure or land in any Regulated Area, and desires to carry out any construction or re-construction or repair or renovation of such building or structure on such land, as the case may be, make an application to the Competent Authority for carrying out constructionor re-construction or repair or renovation as the case may be.

(c) It is the responsibility of the applicant to submit all relevant information and abide by the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011.

CHAPTER 3

Location and Setting of the Protected Monument – Tomb of Mohammed Ghaus, Tomb of Tansen; and two mosques situated in plot No. 200 together with all the land comprised in plot nos. 199 and 200 and enclosed by a compound wall, Gwalior, Madhya Pradesh

3.1 Location and Setting of the Monument:

The Tomb of Mohammed Ghaus, Tomb of Tansen; and two mosques situated in plot No. 200 together with all the land comprised in plot nos. 199 and 200 and enclosed by a compound wall, Gwalior, Madhya Pradesh is centrally located in the city of Gwalior, in close proximity to the Gwalior Fort.

The GPS coordinates are **Latitude**: 26°13'54" N, **Longitude**: 78°10'47" E.

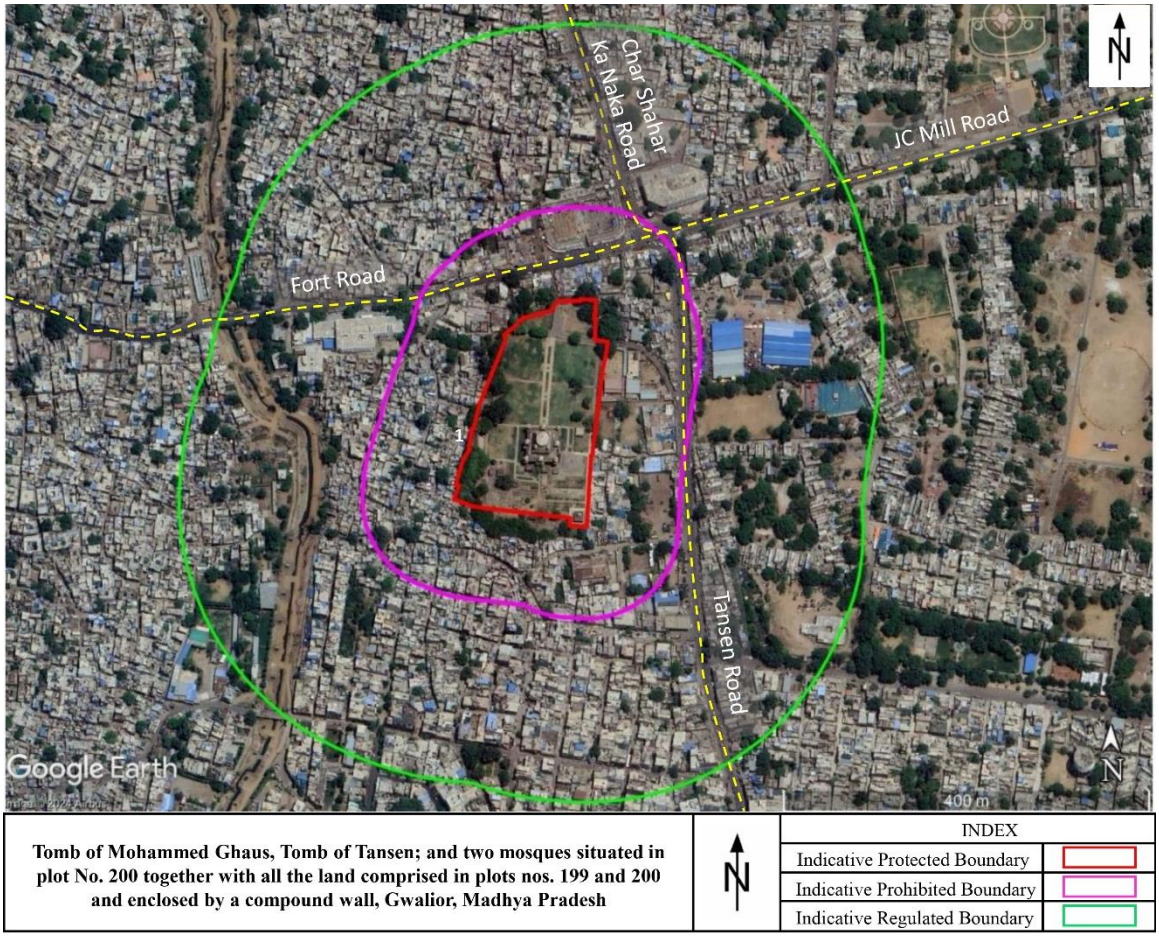

Figure 1: Satellite image showing the location of the Tomb of Mohammed Ghaus, Tomb of Tansen; and two mosques situated in plot No. 200 together with all the land comprised in plot nos. 199 and 200 and enclosed by a compound wall, Gwalior, Madhya Pradesh

The Protected Monument is located amidst a dense urban area and forms a historic complex containing the Tomb of Mohammed Ghaus, the Tomb of Tansen and two mosques along with other historic structures such as chattaris, dargahs, graves and pavilions which are distributed across the Southern and South-Eastern parts of the complex. This historic complex features a landscaped Mughal Garden, symmetrical design elements, pathways and green spaces. The approach to the Protected

Monument is framed by Gwalior Fort on the horizon, linking this Protected Monument visually and historically to one of the most significant landmarks in the region. The juxtaposition of the Protected Monument with the surrounding modern urban environment underscores the continuity of cultural traditions within a rapidly developing city. Despite its central location within the dense built environment of Gwalior, the Protected Monument maintains a degree of seclusion due to the design of the surrounding garden and the spatial organization within the complex.

The Protected Monument is approached via Tansen Road in the East and Fort Road in the North which further leads to Gwalior Fort in the West. The area around the Protected Monument is characterized by residential development, small-scale commercial establishments, a few open spaces and a network of major city roads as well as small and narrow streets. To the West of the Protected Monument, in the Regulated Area flows the Swarnarekha River which is currently in a degraded state due to urbanization and industrial activities.

The setting of the Protected Monument is imbued with a deep sense of spirituality and historical resonance. Visitors are drawn to this site not only for its architectural beauty but also for its spiritual significance, making it a living part of the region's heritage. The Protected Monument is well connected by rail, road and air. The Gwalior Junction Railway Station is approximately 3 kilometres from the Protected Monument. Rajmata Vijayaraje Scindia Airport in Gwalior is approximately 10.7 kilometres from the Protected Monument.

3.2 Protected boundary of the Monument:

The Protected Boundary of the Protected Monument- Tomb of Mohammed Ghaus, Tomb of Tansen; and two mosques situated in plot No. 200 together with all the land comprised in plot nos. 199 and 200 and enclosed by a compound wall, Gwalior, Madhya Pradesh may be seen at **Annexure-I**.

3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:

Gazette Notification of Tomb of Mohammed Ghaus, Tomb of Tansen; and two mosques situated in plot No. 200 together with all the land comprised in plot nos. 199 and 200 and enclosed by a compound wall, Gwalior, Madhya Pradesh may be seen at **Annexure-II**.

3.3 History of the Monument:

The Tomb of Mohammed Ghaus was constructed in the mid-16th century, during the reign of Mughal Emperor Akbar, to honour the revered Sufi saint, Mohammed Ghaus. Ghaus was a significant spiritual figure and advisor to Emperor Humayun, and his influence extended across the religious and cultural landscape of Northern India. The construction of his tomb was initiated shortly after his death, symbolizing his esteemed status. The tomb is a prominent example of early Mughal architecture.

The Tomb of Tansen, located near the tomb of his spiritual mentor Mohammed Ghaus, was constructed shortly after Tansen's death in the late 16th century. Tansen, one of the 'Navaratnas' in the court of Emperor Akbar, was a celebrated musician whose contributions to Indian classical music are unparalleled. His tomb, although more modest in scale compared to that of Mohammed Ghaus, was built to honour

his legacy as a musician and his deep spiritual connection to the Sufi tradition. The tomb's simplicity reflects Tansen's humble origins contrary to his revered status in Indian music history.

3.4 Description of Monument (architectural features, elements, materials etc.):

The Tomb of Mohammed Ghaus is a very fine example of early Mughal architecture. It is built in the form of a square with hexagonal tower and its corners surmounted by small domes. The body of the building is enclosed on all sides by carved stone lattices of elaborate and delicate design. The whole building is crowned by a large dome which was once inlaid with blue glazed tiles. The Tomb of Tansen lies adjacent to the Tomb of Mohammed Ghaus, which is a more modest but perhaps a better-known tomb of the great musician Tansen. It is a rectangular, elevated platform, with a pillared gallery in the centre of which lies the tomb. The whole structure is surmounted by a carved dome.

The Protected Monument encompasses other historic structures such as mosques, chattaris, dargahs, graves and pavilions which are distributed across the Southern and South-Eastern parts of the historic complex.

3.5 Current Status:

3.5.1 Condition of Monument- condition assessment:

The maintenance and preservation of the Protected Monument is the exclusive domain of the Archaeological Survey of India (ASI). The photographs depicting the present condition of the Protected Monument are appended at **Annexure-IV**.

3.5.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers:

The average number of people visiting the Protected Monument is approximately 150-160 per day.

CHAPTER 4

Existing Zoning, if any, in the Local Area Development Plans

4.1 Existing Zoning:

As per Gwalior Development Plan 2035, Gwalior Investment Region has been divided into 08 investment units. Each unit has been divided into residential areas and circles, through which circle, sub-circle level markets and other service facilities will be available. The Protected Monument falls under the **Planning Unit Boundary/Unit – 5**.

The Protected Monument falls within Ward 13 as per Gwalior Development Plan 2035.

4.2 Existing Guidelines of the local bodies:

The general guidelines for the construction are as per Gwalior Development Plan 2035 and Madhya Pradesh Bhumi Vikas Rules, 2012 defined under the "Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973)".

CHAPTER 5

Information as per First Schedule, Rule 21(1)/Survey Plan of the Prohibited and the Regulated Areas on the basis of boundaries defined in Archaeological Survey of India records

5.1 Survey Plan of Monument:

Survey Plan of Tomb of Mohammed Ghaus, Tomb of Tansen; and two mosques situated in plot No. 200 together with all the land comprised in plot nos. 199 and 200 and enclosed by a compound wall, Gwalior, Madhya Pradesh may be seen at **Annexure-I**.

5.2 Analysis of surveyed data:

5.2.1 Prohibited Area and Regulated Area details:

i. Protected Area is 28,330 Sqm approximately.
ii. Prohibited Area is 1,02,473 Sqm approximately.
iii. Regulated Area is 3,92,132 Sqm approximately.

5.2.2 Description of built-up area:

i. **North:** In the Prohibited Area, small-scale commercial establishments, primarily shops, are located along Fort Road, including near the primary access lane to the Protected Monument. Adjacent to the entrance gate there is a temple known as Shri Sidh Baba Mandir. At Hazira Chowk on Fort Road, the low-rise Azad Market features shops and a vegetable market arranged around a central open space. Some residential buildings are situated in the North-West direction.

The Regulated Area is primarily composed of low-rise residential buildings, particularly in Gospura Phase No. 1 locality to the North and North-East of the Protected Monument. This densely populated area shows unplanned development and a trend toward vertical expansion, with some traditional architecture. To the North-West, residential colonies coexist with commercial establishments along Char Sheher Ka Naka Road and at Tansen Plaza near Hazira Chowk. The built environment here is relatively less dense, with open spaces present within the CM Rise Government Patel Higher Secondary School and the residential colonies of Birla Nagar.

ii. **East:** The character of the built environment in the East is comparatively less dense than in other directions, with the presence of significant number of open spaces. In the Prohibited Area along Tansen Road, the development is predominantly commercial, featuring mostly shops, along with a guest house, a marriage banquet complex, a temple, a nursing

home, and a few residential buildings. The overall character of the built environment in this area is primarily low-rise commercial with some open spaces interspersed between the buildings.

The Regulated Area is primarily commercial and residential, with limited public buildings. A key commercial zone along Tansen Road includes shops, a Sabzi Mandi, a temporary Chaupati eatery, a toilet block, a public canteen (Deendayal Rasoi Yojana), and parking space. Nearby is the Mazdoor Congress Gwalior building within Intak Park and a residential colony arranged around a central open space. To the South-East of the Protected Monument, the Employees' State Insurance Dispensary campus includes open spaces and residential quarters. The commercial development along Tansen Road features low-rise structures, primarily shops, and the Shree Paatali Hanuman Ji Temple.

iii. **South:** In the Prohibited Area, there is a dense built up of residential buildings with a few structures abutting the physical boundary of the historic complex comprising the Protected Monument. Further South, the built up primarily consists of a mix of low-rise residential and commercial structures. To the South-East lies cinema theatre known as Man Mandir Talkies. The area features a blend of older, traditional buildings alongside newer constructions, reflecting the ongoing development. The commercial buildings are generally small-scale shops and businesses catering to the local community, while the residential areas are characterized by narrow streets and tightly packed houses with limited open spaces.

In the Regulated Area, the development is relatively planned but dense with predominantly residential buildings present along with a few temples, a school and some commercial buildings interspersed between the residential development. To the South-East there is a hospital and a clinic present. Major commercial activity in this area is concentrated along Tansen Road, where small shops, eateries, and local businesses dominate the streetscape.

iv. **West:** In the Prohibited Area, the built-up character features predominantly low-rise residential buildings, including traditional dwellings and modern constructions, arranged in a densely packed layout. The residential streets are narrow, lined with closely spaced houses that often include small courtyards. Along the main roads, commercial activity is evident with a variety of small businesses such as local shops, eateries, and service providers that cater to the daily needs of the community.

In the Regulated Area to the North-West, there is Government Civil Hospital, Hajira present along the Fort Road. Swarnarekha River currently flows in a degraded state due to urbanization and industrial activities in the area. There is an ongoing construction of an elevated road along the river.

5.2.3 Description of green/open spaces:

The green and open spaces around the Protected Monument are an integral part of its surroundings, offering a contrast to the dense urban environment. The immediate vicinity of the Protected Monument is characterized by dense development. The Eastern side exhibits a higher proportion of open spaces interwoven among the built structures. In contrast, the Northern, Western, and Southern sides, being more densely developed, have limited open areas. These open spaces provide important sight lines to and from the Protected Monument, allowing visitors to appreciate the architectural marvel in its intended context.

i. **North:** There is a parking space present along the Fort Road, opposite to the main approach to the Protected Monument, and a large open space in a low-rise commercial area known as Azad Market, situated along Fort Road in the Prohibited Area. In the Regulated Area, open spaces are present in the CM Rise Government Patel Higher Secondary School and Birla Nagar residential colonies.

ii. **East:** In the Prohibited Area, adjacent to the Protected Monument's Eastern boundary, open areas are present within the premises of wedding venues along with a parking space. Within the Regulated Area, extending eastward, a commercial space is located along Tansen Road, featuring a substantial open area that accommodates diverse activities, including a vegetable market (sabzi mandi) and a popular street-side eatery known as Chaupati. Adjacent to this lies Intak Park, which houses an open ground utilized for cultural events. The residential colonies in this vicinity are characterized by a unique spatial arrangement, with houses clustered around large central open areas.

iii. **South:** In the Prohibited and Regulated Area, there are limited green/open spaces present amidst the dense development. However, green cover is maintained through street-side plantings and small pocket parks wherever possible. In the Prohibited Area, to the South-East, Kabir Park is situated opposite Man Mandir Talkies contributing to the area's green spaces. In the Regulated Area, To the South-East of the Protected Monument, the campus of the Employees' State Insurance Dispensary offers considerable open space.

iv. **West:** In the Regulated Area, open spaces are present within the premises of Government Civil Hospital and along the Swarnarekha River. Green cover is maintained through street-side plantings and small pocket parks wherever possible.

5.2.4 Area covered under circulation- roads, footpaths etc.:

The Protected Monument is well connected to the rest of the city through a network of roads and streets, ensuring easy accessibility. The primary access is via a narrow lane which is linked to the prominent Fort Road to the North of the Protected Monument. This road provides direct connectivity to Gwalior Fort in the West as well as to the central parts of the city. The Protected Monument is also accessible via the Tansen Road to the East, which connects it to Gwalior Railway Station and other key areas of the city. These significant roads intersect at Hazira Chowk in the North-East which is a prominent junction in the area. Additionally, the Protected Monument is linked to the Rani Lakshmibai Marg, facilitating movement towards major highways like National Highway (NH) 44, ensuring seamless connectivity with surrounding regions. The circulation areas around the Protected Monument, including local streets and pedestrian pathways, handle both vehicular and pedestrian traffic.

5.2.5 Existing Heights of buildings:

The general built character of the Prohibited and Regulated Area primarily consists of low to mid-rise structures. In the densely built-up areas to the North, West, and South, the majority of buildings range from one to three stories high. These typically include residential houses, small commercial establishments, and local shops. To the North, the average heights of buildings range from G+1 to G+2, however there are a few buildings with a maximum height of approximately 15 meters. To the East, the average building heights range from ground level to G+2. To the South, the general height of buildings varies between G+1 and G+2 with a few exceptions of buildings having a maximum height of approximately 18 meters. To the West, the average heights of buildings range from G+1 to G+2, however there is an elevated road with a height of approximately 18 metres.

5.2.6 State protected monument and listed heritage building by local authorities if Available within Prohibited/Regulated:

No State Protected Monuments and listed heritage buildings by local authorities, are present, within the Prohibited and Regulated Area of the Protected Monument.

5.2.7 Public amenities:

The Prohibited and Regulated Areas are provided with essential public amenities.

5.2.8 Access to the monument:

The primary access to the Protected Monument is facilitated via a narrow lane which connects to Fort Road in the North which is a significant arterial route linking the Protected Monument to the Gwalior Fort and central city areas. There is a secondary access to the Protected Monument in the East. This access is facilitated via a narrow lane linked to the Tansen Road. Additionally, Tansen Road offers access from the Gwalior Railway Station, making it convenient for visitors. Rani Lakshmibai Marg provides further connectivity to major highways such as National Highway (NH) 44, allowing for easy access from surrounding regions. The immediate vicinity of the Protected Monument is characterized by local streets and pedestrian pathways.

5.2.9 Infrastructure services (water supply, storm water drainage, sewage, solid Wastemanagement, parking etc.):

The Prohibited and Regulated Areas have essential infrastructure services such as water supply, stormwater drainage, electricity supply, sewage system and solid waste management. There is parking available opposite the Protected Monument along Fort Road.

5.2.10 Proposed zoning of the area as per Local Bodies:

As per Gwalior Development Plan 2035, Gwalior Investment Region has been divided into 08 investment units. Each unit has been divided into residential areas and circles, through which circle, sub-circle level markets and other service facilities will be available. The Protected Monument falls under the **Planning Unit Boundary/Unit - 5**.

The Protected Monument falls within Ward 13 as per Gwalior Development Plan 2035.

CHAPTER 6

Architectural, Historical and Archaeological Value of the Monument

6.1 Architectural, Historical and Archaeological Value:

Architectural Value:

The Protected Monument in Gwalior is an exemplary representation of Mughal architectural prowess, reflecting the rich cultural and historical significance of the period, as well as religious and cultural synthesis. The Tomb of Mohammed Ghaus, a 16th century Sufi saint, is a large mausoleum noted for its square plan, central dome, and intricate sandstone latticework (jaalis). The jaalis, carved with geometric and arabesque patterns, allow light to filter through, creating a serene and spiritual atmosphere, making it an important representation of early Mughal architecture. The Tomb of Tansen, located within the same complex, is more austere and modest, consistent with the humble life of the legendary musician. Its design reflects simplicity, with a small domed structure and minimal ornamentation, which contrasts with the grandeur of Ghaus's tomb. Similarly, other structures within the historic complex showcases Indo-Islamic architectural elements which provide valuable insights into the spiritual and cultural fabric of Gwalior during the reign of the Mughals. Together, these structures not only embody the artistic and architectural innovations of the Mughal era but also serve as enduring symbols of the cultural convergence.

Historical Value:

The Protected Monument in Gwalior is a historically significant site that embody the cultural and spiritual legacy of the Mughal era. The Tomb of Mohammed Ghaus, constructed in the mid-16th century, honours the renowned Sufi saint who played a pivotal role in the dissemination of Sufism in India. His influence extended to the Mughal court, where he served as a spiritual guide to Emperor Humayun. This tomb has since become a revered pilgrimage site, symbolizing syncretism that was the hallmark of the Mughal period. Adjacent to the Tomb of Mohammed Ghaus is the Tomb of Tansen, one of the greatest musicians in Indian history and a prominent figure in Emperor Akbar's court. Tansen's contributions to Indian classical music have had a lasting impact on Indian culture, and his inclusion among Akbar's 'Navaratnas' underscores his importance. The location of his tomb near that of his spiritual mentor, Mohammed Ghaus, reflects the deep connection between music and spirituality in Mughal India. The structures within this historic complex together, represent the confluence of religious, cultural, and artistic traditions that characterized the Mughal period, serving as enduring symbols of India's rich heritage.

Archaeological Value:

The Protected Monument has significant archaeological value due to the presence of graves within the historic complex, which provide insights into burial practices and cultural traditions of the 16th century.

6.2 Sensitivity of the monument (e.g. developmental pressure, urbanization, population Pressure, etc.):

The Protected Monument is located within the centre of the city which has a dense built environment. The rapid urban expansion along Fort Road and Tansen Road has led to increased construction activity and infrastructure development, which has exerted considerable pressure on the Protected Monument. Urbanization has resulted in changes to the landscape around the Protected Monument, with modern buildings and commercial establishments encroaching upon the once tranquil environment, especially along the arterial roads such as Fort Road and Tansen Road. This development has altered the historical context of the Protected Monument, diminishing its visual and spatial prominence. The proximity of high-density residential and commercial areas has also led to increased pedestrian and vehicular congestion, affecting the accessibility and serenity of the Protected Monument.

The presence of temporary structures such as street hawkers, temporary road site counters, vending kiosks, etc. along the approach lane to the Protected Monument disrupts heritage ambience, and contributes to visual clutter.

6.3 Visibility from the protected monument or area and visibility from Regulated Area:

The Protected Monument provides views of the dense urban development to the North with views extending towards the Fort Road. To the East, there is visibility of the nearby buildings which are low-rise structures. The Southern side has views of the dense residential built up. Towards the West, there is similar visibility of the dense residential surrounding. The area surrounding the Protected Monument is characterized by a diverse skyline, reflecting the historical and modern development of Gwalior.

The Protected Monument is only visible from the vicinity and from certain points of the adjacent roads – Fort Road to the North and Tansen Road to the East. The visibility is lost as we move further away from the Protected Monument due to the dense built-up present especially in the North, South and West directions. The Protected Monument is comparatively more visible from the East direction due to the presence of open areas. There are certain vantage points from where the dome of the monument is clearly visible.

6.4 Land- use to be identified:

As per Gwalior Development Plan 2035, the Protected Monument falls under the land use – Public and Semi Public. The proposed land uses in the Prohibited and Regulated Area are Residential, Commercial and Recreational (Parks).

6.5 Archaeological heritage remains other than protected monument:

There are no known or reported archaeological heritage remains in the Prohibited and Regulated Area to date.

6.6 Cultural landscapes:

The Protected Monument's cultural landscape was defined by its purpose as a tomb garden. In its initial context, it was a serene and solemn space dedicated to the commemoration of Sheikh Mohammad Ghaus and Tansen, likely a place of reflection and reverence. This cultural landscape featured lush gardens, tomb shrines, and well-connected pathways that facilitated spiritual contemplation. The Protected Monument's surroundings were carefully curated to enhance its sacredness and provide a peaceful retreat from the bustling world outside. Over the centuries, the cultural landscape has undergone a transformation. The once tranquil tomb garden is now nestled within a densely populated area filled with residential and commercial structures. The surrounding environment has shifted from one of serene isolation to a vibrant, dynamic urban fabric. Urbanization and development have reshaped the area, often encroaching upon and altering the original landscape. The Protected Monument itself may have adapted to its new context, becoming a landmark and tourist attraction.

6.7 Significant natural landscapes that form part of cultural landscape and also helps in protecting the monument from environmental pollution:

There are no significant natural landscapes around the Protected Monument.

6.8 Usage of open space and constructions:

The open spaces surrounding the Protected Monument serve multiple purposes within the dense urban environment. To the East, open areas within wedding venues and parking spaces offer functional support for local activities. Kabir Park in the South-East provides public recreational space. In the Regulated Area towards East, a large open area along Tansen Road hosts diverse commercial activities, including a vegetable market and popular eateries. Intak Park serves as a venue for cultural events. Residential colonies feature central open areas for community use. The Employees' State Insurance Dispensary campus offers substantial open space. Despite limited open areas to the North, West, and South due to dense development, there is green cover through street plantings and small parks. A parking area and open space in Azad Market to the North support commercial activities. These open spaces collectively provide essential sight lines to the Protected Monument, maintain its contextual integrity, support local commerce and events, offer community gathering areas, and contribute to the urban green infrastructure.

6.9 Traditional, historical and cultural activities:

The Protected Monument has immense historical and cultural importance, being the tomb of the great musician Tansen. Tansen Sangeet Samaroh (festival) is celebrated every year in the month of December near the Protected Monument. Artists and music lovers from all over the world gather to pay tribute to the great Indian Musical Maestro-Tansen.

6.10 Skyline as visible from the monument and from Regulated Areas:

The area surrounding the Protected Monument is characterized by a diverse skyline, reflecting the historical and modern development of Gwalior. The East side shows a skyline of low-rise development interspersed with open areas.

The skyline from the Eastern and South-Eastern direction of the Prohibited and Regulated Area features buildings interspersed with open spaces with the dome of the Tomb visible in the background from certain vantage points. The skyline from the Northern, Western and Southern direction features dense built up with no clear visibility of the Protected Monument in the background. The Protected Monument is only clearly visible from the adjacent areas to the East.

6.11 Traditional architecture:

In the Prohibited and Regulated Area of the Protected Monument, several residential dwellings are constructed in the traditional style of architecture of the region. The architectural elements used showcases a blend of Rajput, Mughal, and Maratha influences. These styles evolved over centuries and reflect the city's historical connections with various dynasties and rulers.

6.12 Developmental plan, as available, by the local authorities:

Gwalior Development Plan 2035 prepared by Directorate of Town and Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal may be referred.

6.13 Permissible Building related parameters:

6.13.1 Repair and Renovation (in Prohibited and Regulated area):

Internal changes and adaptive reuse may be generally permitted. However, external changes shall be subject to detailed scrutiny by the Competent Authority. Such changes which include retrofitting/renovation may be permitted when the building is structurally weak or unsafe or when it has been adversely impacted by any natural calamity and renovation is absolutely necessary. Original building vocabulary and layout along with built area and open area relationships are to be adhered to. General repair and upkeep of buildings will be permissible, subject to prior permission from the Competent Authority.

The repair and renovation in building/structures should be sympathetic and congruous with the heritage character of the protected monument and its surrounding areas. New cladding materials like Aluminium Composite Panels (ACP), High Pressure Laminates (HPL), laminates, tiling or glazing will not be permitted. Use of locally available building material should be encouraged in carrying out repair and renovation works.

6.13.2 Reconstruction:

Reconstruction is defined in Section 2(k) of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958, as amended. Permission for reconstruction in Regulated Area is accorded as per Section 20 C(2) of the AMASR Act, 1958, as amended, and Rule 6 (IV) and Rule 7 AMASR (Framing of heritage Bye-laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011. In case of any type of building or structure located in the Prohibited or Regulated Area of the Protected Monument or Protected Area, collapsed or damaged and found beyond repair due to natural calamities, the permission for reconstruction is

accorded as per Rule 16 of AMASR (Framing of heritage Bye-Laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011. Reconstruction of building or structure damaged due to natural calamity shall be permissible only to the extent it is damaged. The new structure or building as a replacement to the older building in case of reconstruction shall follow the same horizontal and vertical limits as per the pre-existing structure. The use of incongruous materials in the facade such as glazing, metal cladding, Aluminium Composite Panels (ACP), High Pressure Laminates (HPL), tiles, laminates will not be permissible. The new structure should be sympathetic and congruous with the heritage character of the Protected Monuments and its surrounding area.

6.13.3 New Construction:

6.13.3 A Prohibited Area:

As per Section 20A(4) of AMASR Act, 1958, as amended, no new construction including carrying out any public work or project essential to the public or other construction, shall be permitted within the Prohibited Area of the Protected Monument.

6.13.3 B Regulated Area:

All the development control norms and building regulations specified in the Gwalior Development Plan 2035 and Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam 1984, amended 2012, defined under the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973, as and when amended shall be applicable, however, the height and other parameters specified in this document shall be applicable in the Regulated Area of the Protected Monument.

1. **Height of the new construction on the site (including mumty, parapet, water storage tank, machine room, HVAC unit, solar panel, rain water harvesting system, penthouse structures of terrace garden etc.) or any other services on the roof:**

   The maximum height limit for new construction or additions/alteration to existing buildings in all Zones of the Regulated Area shall not exceed **12.5 metres** (including mumty, parapet, water storage tank, machine room, generator room, HVAC unit, solar panel, rainwater harvesting system, penthouse structures of terrace garden etc. or any other services on the roof).

   Construction of the basement should be discouraged.

2. **Usage:**

   i. The usage should be as per Gwalior Development Plan 2035.

3. **Façade design:**

   i. The facade design of any new construction should be minimalistic in nature, so that it does not overpower the Protected Monument and the overall character of the surrounding area. The façade design should be subtle, and plastered and painted in earthy colours.

   ii. Use of intrusive materials such as Aluminium Composite Panel (ACP), High Pressure Laminates (HPL) and any other synthetic material for exterior finishes on the exterior facade should be discouraged.

4. **Roof design:**

   i. Flat roof design may be followed.

   ii. Erection of Structures, even of temporary nature, using materials such as aluminium, fibre glass, polycarbonate or similar materials should be discouraged on the roof of the building. Water tanks should be screened off using brick walls.

5. **Building material:**

   i. Consistency in building materials and colour along all street façades of the Protected Monument should be maintained. Modern building materials such as aluminium cladding, glass bricks and any other synthetic tiles or materials should be discouraged for exterior finishes.

   ii. Building materials like brick, stone and cement may be used which are non-intrusive to the heritage character of the Protected Monument and its surroundings area.

6. **Colour:**

   The exterior colour should be of a neutral tone and in harmony with the Protected Monument such as buff sandstone colour, beige and other earthy colours which do not create a harsh contrast with the Protected Monument and its immediate surroundings.

7. **Other Regulations:**

   Proposals for the construction of large-scale public infrastructure projects such as Metro Rail Systems (underground or elevated), rail or road over bridges, flyovers, multi-level parking facilities, or similar development projects and construction of institutional buildings in public interest or which are essential for public, shall be subject to a detailed Heritage Impact Assessment (HIA) Report. Such projects may be considered only if it is clearly established that they will not cause any significant adverse impact on the preservation, safety, security, visual integrity or accessibility of the Protected Monument or its immediate surroundings.

6.14 Visitor facilities and amenities:

Visitor facilities and amenities may be considered as far as feasible.

CHAPTER 7

Site Specific Recommendations

7.1 Site Specific Recommendations:

i. All temporary structures along the road like dhabas/ roadside vending kiosks etc. may be relocated away from the Prohibited and Regulated Areas of the Protected Monument.

ii. The widening of the major arterial roads around the Protected Monument, if done, should be in a direction away from the Protected Boundary of the Protected Monument as far as feasible.

iii. The installation of signages should not damage the historic fabric, nor diminish the historic character of the Protected Monument.

iv. LED or digital signs, plastic fibre glass, or any other highly reflective synthetic material should not be used for signages in the vicinity of the Protected Monument or its immediate surrounding areas.

v. No advertisements in the form of hoardings, bill-boards and posters to be permitted near the Protected Monument, especially on the Boundary of the Protected Monument.

vi. Use of eco-friendly vehicles for movement in the vicinity of the Protected Monument may be encouraged to mitigate adverse impacts on the Protected Monument due to vehicular emissions and vibrations.

vii. Construction of green buildings including best practices like rainwater harvesting, etc should be encouraged.

7.2 Other recommendations:

i. Whenever the Master Plan, Zonal Plan or Development Plan is prepared or amended, it should clearly show all the Protected Monuments of National Importance and their Prohibited and Regulated Areas.

ii. Hawkers and vendors should not be encouraged to occupy the boundary of the Protected Monument to ensure unobstructed visibility of the Protected Monument.

iii. The area should be declared as Plastic and Polythene free zone.

iv. National Disaster Management Guidelines for Cultural Heritage Sites and Precincts maybe referred at https://nidm.gov.in/PDF/pubs/NDMA/20.pdf

अनुलग्नक
ANNEXURES

अनुलग्नक-I
ANNEXURE–I

मोहम्मद गौस का मकबरा, तानसेन का मकबरा; तथा प्लॉट संख्या 199 और 200 में सम्मिलित समस्त भूमि के साथ परिसर की दीवार से घिरे हुए प्लॉट संख्या 200 में स्थित दो मस्जिद, ग्वालियर, मध्य प्रदेश की सर्वेक्षण योजना

Survey Plan of Tomb of Mohammed Ghaus, Tomb of Tansen; and two mosques situated in plot No. 200 together with all the land comprised in plot nos. 199 and 200 and enclosed by a compound wall, Gwalior, Madhya Pradesh

अनुलग्नक-II
ANNEXURE-II

संस्मारक की अधिसूचना
NOTIFICATION OF THE MONUMENT

मूल अधिसूचना
Original Notification

(Department of Agriculture)

(Indian Council of Agricultural Research)

New Delhi, the 23rd January 1962

S.O. 356.—Under Section 4(x) of the Indian Cotton Cess Act, 1923 (14 of 1923), the Central Government are pleased to nominate the following persons to be members of the Indian Central Cotton Committee, Bombay, from 1st January, 1962 to 31st March, 1963:—

1. Shri Neville N. Wadia, Bombay.
2. Shri Bharat Ram, New Delhi.
3. Shri Chunilal B. Mehta, Bombay.
4. Shri P. S. Patil, Chikhli, Distt. Buldana.
5. Shri W. R. Natu, Textile Commissioner, Bombay.
6. Shri R. D. Shah, Director (Cotton), Textile Commissioner Office, Bombay.
7. Dr. V. K. R. V. Rao, New Delhi.
8. Dr. M. D. Patel, Director, Institute of Agriculture, Anand.
9. Joint Secretary (Finance), Ministry of Food and Agriculture, New Delhi.
10. Shri R. D. Mehra, 6815, Beriwala Bagh, Pul Bangash, Delhi.
11. Shri N. M. Deshmukh, Hanuman Lane, Sitabaldi, Nagpur.

[No. 1-4/61-Com. IV.]

SANTOKH SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENTIFIC RESEARCH & CULTURAL AFFAIRS

ARCHAEOLOGY

New Delhi, the 23rd January 1962

S.O. 357.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of S.R. & C.A. No. E4-9/61-C.I dated 7th April, 1961 published in Part II Section 3 sub section (ii) of the Gazette of India dated 22nd April, 1961, the Central Government gave notice of its intention to declare the archaeological monument specified in the schedule below to be of national importance.

And whereas the objection received to the making of such declaration has been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby declares the said archaeological monument to be of national importance.

SCHEDULE

State	District	Tehsil	Locality	Name of the monument	Revenue Plot numbers to be included under protection	Area	Boundaries	Ownership	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Madhya Pradesh.	Gwalior	Gwalior	Ghaus-pura.	(1) Tomb of Mohammed Ghaus. (2) Tomb of Tansen ; and (3) two mosques, situated in plot No. 200 together with all the land comprised in plot nos. 199 and 200 and enclosed by a compound wall.	All the land comprised in plot nos. 199 and 200 and enclosed by a compound wall.	13 Bighas and 11 Biswas.	North :—A part of Survey Plot No. 183. East :—Survey Plot Nos. 183, 196, 197, 198, 298. South :—A part of Survey Plot No. 298, Survey Plot No. 201 and a part of Survey Plot No. 202/1. West :—Survey Plot No. 202/1.	Government.	

[No. F. 4-9/61-C.I.]

S. J. NARSIAN,
Assistant Educational Adviser.

मूल अधिसूचना की टंकित प्रति
Typed Copy of Original Notification

MINISTRY OF SCIENTIFIC RESEARCH & CULTURAL AFFAIRS

ARCHAEOLOGY

New Delhi, the 23rd January 1962

S.O. 357. -Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of S.R. & C.A. No. E4-9/61-C.I dated 7th April. 1961 published in Part II Section 3 sub section (ii) of the Gazette of India dated 22nd April, 1961, the Central Government gave notice of its intention to declare the archaeological monument specified in the schedule below to be of national importance.

And whereas the objection received to the making of such declaration has been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby the said archaeological monument to be of national importance.

SCHEDULE

State	District	Tehsil	Locality	Name of the monument	Revenue Plot nos. to be included under protection	Area	Boundaries	Ownership
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Madhya Pradesh	Gwalior	Gwalior	Ghauspura	(1) Tomb of Mohammed Ghaus. (2) Tomb of Tansen; and (3)Two Mosques, Situated in No. 200 together with all the land comprised in plot nos 199 and 200 and enclosed by a compound wall	All the land comprised in Plot nos. 199 and 200 and enclosed by a compound wall	13 Bighas and 11 Biswas.	North: A Part of Survey Plot N0. 183. East:-Survey Plot Nos 183, 196, 197, 198, 298.	Government

							South: - A Part of Survey Plot No 298, Survey Plot No 201, and a part of Survey Plot No 202/I. West: Survey Plot No 202/I.	

[No. F. 4-9/61-C.I.]

S.J. NARSIAN.
Assistant Educational Advisor

अनुलग्नक-III
ANNEXURE–III

ग्वालियर विकास योजना 2035
Gwalior Development Plan 2035

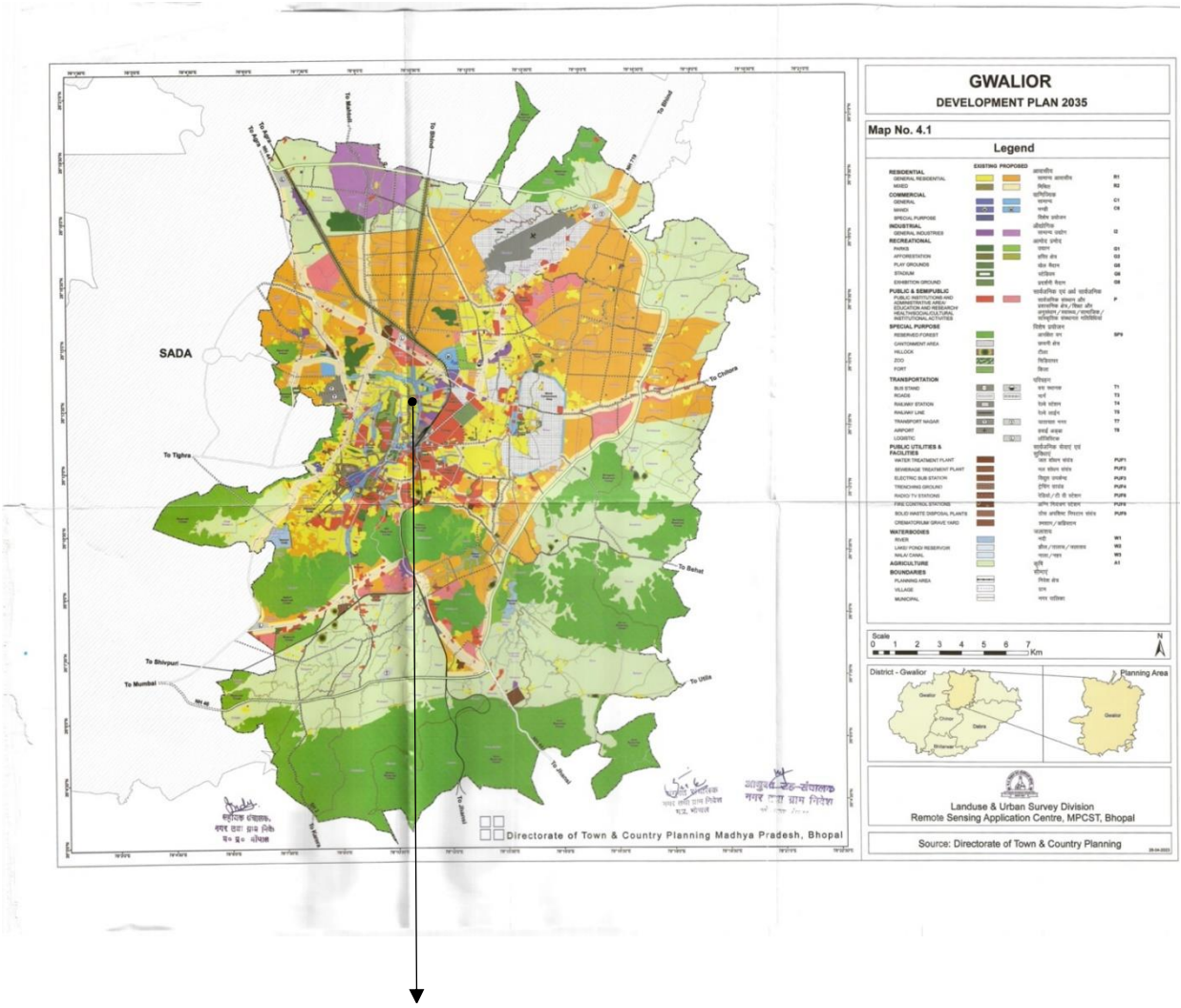

Tomb of Mohammed Ghaus, Tomb of Tansen; and two mosques

मानचित्र 1: प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र, ग्वालियर विकास योजना 2035
Map 1: Proposed Land Use Map, Gwalior Development Plan 2035

संरक्षित संस्मारक और उसके आसपास के भूमि उपयोग को दर्शाता ग्वालियर विकास योजना 2035 का विस्तारित खंड

The enlarged section of Gwalior Development Plan 2035 showing the Protected Monument and the landuse of the surrounding area

मानचित्र 2: प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र, ग्वालियर विकास योजना 2035 का विस्तारित खंड

Map 2: Enlarged Section of the Proposed Land Use Map, Gwalior Development Plan 2035

अनुलग्नक–IV
ANNEXURE–IV

संस्मारक और उसके आसपास के क्षेत्रों के चित्र
Images of the Monument and its surrounding areas

चित्र 1: मोहम्मद गौस के मकबरे का सामने का दृश्य
Image 1: Front view of the Tomb of Mohammed Ghaus

चित्र 2 और 3: संरक्षित संस्मारक की स्थापत्य विशेषताएँ

Image 2 and 3: Architectural features of the Protected Monument

चित्र 4: ऐतिहासिक परिसर के भीतर बगीचों से तानसेन के मकबरे और मोहम्मद गौस के मकबरे का दृश्य

Image 4: View of the Tomb of Tansen and the Tomb of Mohammed Ghaus from the gardens within the historic complex

चित्र 5: ऐतिहासिक परिसर में मस्जिद का दृश्य
Image 5: View of the mosque in the historic complex

चित्र 6: तानसेन के मकबरे का दृश्य
Image 6: View of The Tomb of Tansen

चित्र 7: पूर्वी दिशा में तानसेन रोड का दृश्य

Image 7: View of The Tansen Road in the Eastern direction

चित्र 8: उत्तर दिशा में फोर्ट रोड का दृश्य, पृष्ठभूमि में ग्वालियर किला दिखाई दे रहा है।

Image 8: View of The Fort Road in the Northern direction with Gwalior Fort visible in the background

चित्र 9: उत्तर दिशा में निर्माण

Image 9: Built character in the North direction

चित्र 10: फोर्ट रोड के साथ उत्तर दिशा में निर्माण

Image 10: Built character in the North direction, along Fort Road

चित्र 11: उत्तर में विनियमित क्षेत्र में हजीरा चौक पर स्थित तानसेन प्लाजा

Image 11: Tansen Plaza located at Hazira Chowk in the Regulated Area to the North

चित्र 12: पूर्व दिशा में विनियमित क्षेत्र में इंटक पार्क के अंदर मजदूर कांग्रेस ग्वालियर भवन

Image 12: Mazdoor Congress Gwalior building within Intak Park in the Regulated Area to the East

चित्र 13: उत्तर दिशा में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में आज़ाद मार्केट के समीप पार्किंग

Image 13: Parking adjacent to Azad Market in the Prohibited Area to the North

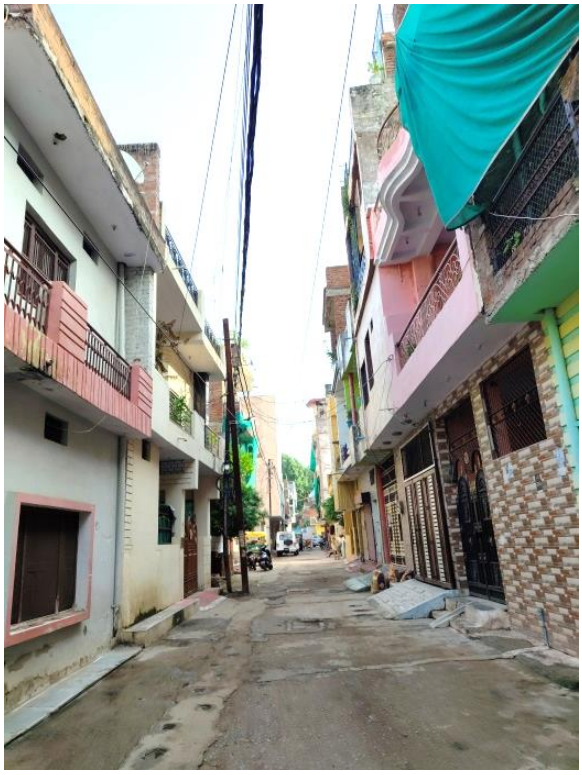

चित्र 14 और 15: दक्षिण में विनियमित क्षेत्र में आवासीय भवनों का घना निर्माण

Image 14 and 15: Dense built up of residential buildings in the Regulated Area to the South

चित्र 16: पश्चिम में विनियमित क्षेत्र में सिविल अस्पताल, हजीरा

Image 16: Civil Hospital, Hazira in the Regulated Area to the West

चित्र 17: पश्चिम में विनियमित क्षेत्र में स्वर्णरेखा नदी के किनारे एलिवेटेड रोड

Image 17: Elevated Road along the Swarnarekha River in the Regulated Area to the West

चित्र 18: पश्चिम में विनियमित क्षेत्र में निर्माण
Image 18: Built character in the Regulated Area to the West